



The Himachal Pradesh Lokayukta Act, 2014

Act 23 of 2015

Keyword(s):

Bench, Complaint, Investigation, Judicial Member, Lokayukta, Minister, Preliminary Inquiry, Public Servant, Special Court

Amendments appended: 13 of 2022, 1 of 2024

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

ACT No. 23 of 2015

17/05/2015-Juddi.9/P

2014 का विधेयक संख्यांक 15

हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त विधेयक, 2014

(विधान सभा द्वारा यथा संशोधित पारित)

हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त विधेयक, 2014

खण्डों का क्रम

खण्ड:

अध्याय-1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार, लागू होना और प्रारम्भ।
2. परिभाषाएं।

अध्याय-2

लोकायुक्त की नियुक्ति

3. लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए पात्रता।
4. चयन समिति की सिफारिशों पर लोकायुक्त की नियुक्ति।
5. लोकायुक्त की रिक्ति का भरा जाना।
6. लोकायुक्त की पदावधि।
7. लोकायुक्त का वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें।
8. लोकायुक्त द्वारा पद पर न रहने के पश्चात् नियोजन पर निर्बन्धन।
9. लोकायुक्त का सचिव, अन्य अधिकारी तथा कर्मचारिवृन्द।

अध्याय-3

जांच खण्ड

10. जांच खण्ड।

अध्याय-4

अभियोजन खण्ड

11. अभियोजन खण्ड।

अध्याय-5

लोकायुक्त के व्ययों का राज्य की संचित निधि पर भारित होना

12. लोकायुक्त के व्ययों का राज्य की संचित निधि पर भारित होना।

अध्याय-6

जांच के सम्बन्ध में अधिकारिता

13. लोकायुक्त की जांच की बाबत अधिकारिता।
14. किसी न्यायालय या समिति या प्राधिकारी के समक्ष जांच के लिए लंबित मामलों का प्रभावित न होना।

अध्याय-7

प्रारम्भिक जांच और अन्वेषण के सम्बन्ध में प्रक्रिया

15. शिकायतों और प्रारम्भिक जांच तथा अन्वेषण से सम्बन्धित उपबन्ध।
16. प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने की संभावना वाले व्यक्तियों को सुना जाना।
17. लोकायुक्त द्वारा किसी लोक सेवक या किसी अन्य व्यक्ति से सूचना प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना।
18. लोकायुक्त की अभियोजन प्रारम्भ करने की मंजूरी देने की शक्ति।
19. ऐसे लोक सेवकों के विरुद्ध, जो मुख्यमन्त्री, मन्त्री या विधान सभा के सदस्य हैं, अन्वेषण पर कार्रवाई।

अध्याय-8

लोकायुक्त की शक्तियां

20. लोकायुक्त की पर्यवेक्षण सम्बन्धी शक्तियां।
21. तलाशी और अभिग्रहण।
22. लोकायुक्त को कतिपय मामलों में सिविल न्यायालय की शक्तियां होना।
23. लोकायुक्त की राज्य सरकार के अधिकारियों की सेवाओं का उपयोग करने की शक्ति।
24. परिसम्पत्तियों की अनन्तिम कुर्की।
25. परिसम्पत्तियों की कुर्की की पुष्टि।

26. विशेष परिस्थितियों में भ्रष्टाचार के साधनों द्वारा उद्भूत या उपाप्त परिसम्पत्तियों, आगमों, प्राप्तियों और फायदों का अधिहरण।
27. लोकायुक्त की भ्रष्टाचार के अभिकथन से सम्बद्ध लोक सेवक के स्थानान्तरण या निलम्बन की सिफारिश करने की शक्ति।
28. लोकायुक्त की प्रारम्भिक जांच के दौरान अभिलेखों को नष्ट किए जाने से रोकने के लिए निदेश देने की शक्ति।
29. प्रत्यायोजन की शक्ति।

अध्याय-9

विशेष न्यायालय

30. राज्य सरकार द्वारा विशेष न्यायालयों का गठन किया जाना।
31. कतिपय मामलों में संविदाकारी राज्य को अनुरोध-पत्र।

अध्याय-10

लोकायुक्त और लोकायुक्त के पदधारियों के विरुद्ध शिकायतें

32. लोकायुक्त का हटाया जाना और उसका निलम्बन।
33. लोकायुक्त के पदधारियों के विरुद्ध शिकायतें।

अध्याय-11

विशेष न्यायालय द्वारा हानि का निर्धारण और उसकी वसूली

34. विशेष न्यायालय द्वारा हानि का निर्धारण और उसकी वसूली।

अध्याय-12

वित्त, लेखा और संपरीक्षा

35. बजट।
36. राज्य सरकार द्वारा अनुदान।
37. वार्षिक लेखा विवरण।
38. राज्य सरकार को विवरणियां आदि प्रस्तुत करना।

अध्याय-13

परिसम्पत्तियों की घोषणा

39. परिसम्पत्तियों की घोषणा।
40. कतिपय मामलों में भ्रष्ट साधनों द्वारा परिसम्पत्तियों के अर्जन के बारे में उपधारणा।

अध्याय-14

अपराध और शास्तियां

41. मिथ्या शिकायत के लिए अभियोजन और लोक सेवक को प्रतिकर आदि का संदाय।
42. सोसाइटी या व्यक्ति-संगम या न्यास द्वारा मिथ्या शिकायत का किया जाना।

अध्याय-15

प्रकीर्ण

43. लोकायुक्त की रिपोर्टें।
44. लोकायुक्त का तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि से उद्भूत होने वाली अपीलों के सम्बन्ध में अपील प्राधिकारी के रूप में कार्य करना।
45. किसी लोक सेवक द्वारा सदभावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण।
46. अन्य व्यक्तियों द्वारा सदभावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण।
47. लोकायुक्त, लोकायुक्त के अधिकारियों और कर्मचारियों का लोक-सेवक होना।
48. कतिपय मामलों में परिसीमा का लागू होना।
49. अधिकारिता का वर्जन।
50. विधिक सहायता।
51. अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना।
52. इस अधिनियम के उपबन्धों का अन्य विधियों के अतिरिक्त होना।
53. अवमान के लिए दण्ड देने की शक्ति।
54. नियम बनाने की शक्ति।
55. लोकायुक्त की विनियम बनाने की शक्ति।
56. नियमों और विनियमों का रखा जाना।
57. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।
58. निरसन और व्यावृत्तियाँ।

हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त विधेयक, 2014

(विधान सभा द्वारा यथा संशोधित पारित)

कतिपय लोक कृत्यकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के अभिकथनों के बारे में जांच करने हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य के लिए लोकायुक्त की नियुक्ति करने के लिए विधि को समेकित और पुनः अधिनियमित करने और उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए विधेयक ।

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

अध्याय-1 प्रारम्भिक

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम, 2014 है । संक्षिप्त नाम,
विस्तार, लागू
होना और
प्रारम्भ ।
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश राज्य पर है ।
- (3) यह राज्य में और राज्य के बाहर, लोक सेवकों को लागू होगा ।
- (4) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।
2. (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न परिभाषाएं हो,-
 - (क) "सक्षम प्राधिकारी" से,-
 - (i) मुख्यमन्त्री के सम्बन्ध में, हिमाचल प्रदेश विधान सभा अभिप्रेत है;

- (ii) मन्त्री के सम्बन्ध में मुख्यमन्त्री अभिप्रेत है;
- (iii) मन्त्री से भिन्न हिमाचल प्रदेश विधान सभा के किसी सदस्य के सम्बन्ध में विधान सभा का अध्यक्ष अभिप्रेत है;
- (iv) राज्य सरकार के विभाग के किसी अधिकारी के सम्बन्ध में, उस विभाग का, जिसके अधीन ऐसा अधिकारी सेवारत है, प्रभारी मन्त्री अभिप्रेत है;
- (v) संसद् के किसी अधिनियम या राज्य विधान-मण्डल के किसी अधिनियम के अधीन स्थापित या गठित अथवा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा पूर्णतः या भागतः वित्तपोषित या उसके द्वारा नियन्त्रित किसी निकाय या बोर्ड या निगम या प्राधिकरण या कम्पनी या सोसाइटी या स्वायत्त निकाय (चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो) के किसी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्यों के सम्बन्ध में उस निकाय या बोर्ड या निगम या प्राधिकरण या कम्पनी या सोसाइटी या स्वायत्त निकाय के प्रशासनिक विभाग का प्रभारी मन्त्री अभिप्रेत है;
- (vi) संसद् के किसी अधिनियम या राज्य विधान मण्डल के किसी अधिनियम के अधीन स्थापित या गठित अथवा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा पूर्णतः या भागतः वित्तपोषित या उसके द्वारा नियन्त्रित किसी निकाय या बोर्ड या निगम या प्राधिकरण या कम्पनी या सोसाइटी या स्वायत्त निकाय (चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो) के किसी अधिकारी के सम्बन्ध में उस निकाय या बोर्ड या निगम या प्राधिकरण या कम्पनी या सोसाइटी या स्वायत्त निकाय का प्रमुख अभिप्रेत है;

- (vii) राज्य विधान-मण्डल के किसी अधिनियम के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय के कुलपति या प्रतिकुलपति के सम्बन्ध में राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश अभिप्रेत है; और
- (viii) उपरोक्त उप-खंड (i) से (vii) के अधीन न आने वाले किसी अन्य मामले के सम्बन्ध में ऐसा विभाग या प्राधिकरण अभिप्रेत है जैसा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए:

परन्तु यदि उप-खंड (v) या उप-खंड (vi) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति विधान सभा का सदस्य भी है तो, विधान सभा का अध्यक्ष सक्षम प्राधिकारी होगा;

- (ख) "शिकायत" से ऐसे प्ररूप में, जो विहित किया जाए, शपथ पत्र सहित की गई ऐसी कोई शिकायत अभिप्रेत है, जिसमें यह अभिकथन हो कि किसी लोक सेवक ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 या हिमाचल प्रदेश विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण निवारण अधिनियम, 1983 के अधीन दंडनीय कोई अपराध किया है;
- (ग) "अन्वेषण" से दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 2 के खण्ड (ज) के अधीन यथापरिभाषित कोई अन्वेषण अभिप्रेत है;
- (घ) "लोकायुक्त" से धारा 4 के अधीन इस रूप में नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है;
- (ङ) "मन्त्री" से राज्य सरकार का कोई मन्त्री अभिप्रेत है, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, अर्थात् मन्त्री, राज्य मन्त्री, उप-मन्त्री और इसके अन्तर्गत मुख्य संसदीय सचिव और संसदीय सचिव भी होगा किन्तु इसके अन्तर्गत मुख्यमन्त्री नहीं है;
- (च) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है और "अधिसूचित करना" पद का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा;

- (छ) "प्रारम्भिक जांच" से इस अधिनियम के अधीन लोकायुक्त द्वारा की गई कोई जांच अभिप्रेत है;
- (ज) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;
- (झ) "लोक सेवक" से इस अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (क) से (ज) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;
- (ञ) "विनियमों" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियम अभिप्रेत हैं;
- (ट) "नियमों" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम अभिप्रेत हैं; और
- (ठ) "विशेष न्यायालय" से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किसी विशेष न्यायाधीश का न्यायालय अभिप्रेत है । 1988 कां 49

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हैं और इसमें परिभाषित नहीं किए गए हैं, किन्तु भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 या हिमाचल प्रदेश विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण निवारण अधिनियम, 1983 में परिभाषित किए गए हैं, वही अर्थ होंगे जो उन अधिनियमों में क्रमशः उनके हैं ।

अध्याय-2

लोकायुक्त की नियुक्ति

लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए पात्रता।

3. (1) लोकायुक्त ऐसा व्यक्ति होगा जो उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश है या रहा है या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति है या रहा है ।

(2) लोकायुक्त—

(i) संसद का सदस्य या किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा का कोई सदस्य नहीं होगा;

- (ii) नैतिक अधमता वाले किसी अपराध का दोषसिद्ध कोई व्यक्ति नहीं होगा;
- (iii) लोकायुक्त के रूप में पद ग्रहण करने की तारीख को पैंतालीस वर्ष से कम आयु का व्यक्ति नहीं होगा;
- (iv) किसी पंचायत या नगरपालिका का सदस्य नहीं होगा; और
- (v) ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा, जिसे राज्य की सेवा से हटा दिया गया है या पदच्युत कर दिया गया है और वह लोकायुक्त के रूप में उसके पद से भिन्न, विश्वास और लाभ का कोई पद धारण नहीं करेगा या किसी राजनैतिक दल से संबद्ध नहीं होगा या कोई कारबार नहीं करेगा या कोई वृत्ति नहीं करेगा और तदनुसार, अपना पदग्रहण करने से पूर्व, लोकायुक्त के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति, यदि,—
- (क) वह विश्वास या लाभ का कोई पद धारण करता है तो वह ऐसे पद से त्यागपत्र देगा; या
- (ख) वह कोई कारबार कर रहा है, तो ऐसे कारबार के संचालन और प्रबन्धन से अपना सम्बन्ध समाप्त कर लेगा; या
- (ग) वह कोई वृत्ति कर रहा है, तो ऐसी वृत्ति नहीं करेगा ।

4. (1) लोकायुक्त की नियुक्ति, राज्यपाल द्वारा निम्नलिखित से मिलकर चयन समिति की सिफारिशों पर लोकायुक्त की नियुक्ति।
बनी एक चयन समिति की सिफारिशें प्राप्त करने के पश्चात् की जाएगी,—

- | | |
|--|------------|
| (क) मुख्यमन्त्री | —अध्यक्ष; |
| (ख) विधानसभा का अध्यक्ष | —सदस्य; |
| (ग) विधानसभा में विपक्ष का नेता | —सदस्य; और |
| (घ) उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति | —सदस्य । |

(2) लोकायुक्त की कोई नियुक्ति मात्र इस कारण अविधिमान्य नहीं होगी कि चयन समिति में कोई रिक्ति है ।

(3) चयन समिति लोकायुक्त का चयन करने के लिए पारदर्शी रीति में अपनी स्वयं की प्रक्रिया विनियमित करेगी ।

लोकायुक्त की रिक्ति का भरा जाना ।

5. राज्यपाल, लोकायुक्त की पदावधि की समाप्ति के कम से कम तीन मास पूर्व, इस अधिनियम में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार, नए लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा या उठवाएगा ।

लोकायुक्त की पदावधि ।

6. लोकायुक्त, चयन समिति की सिफारिशों पर, राज्यपाल द्वारा उसके हस्ताक्षर और मुद्रा के अधीन अधिपत्र द्वारा नियुक्त किया जाएगा और वह उस तारीख से, जिसको वह अपना पदग्रहण करता है, पांच वर्ष की अवधि तक या उसके द्वारा सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, उस रूप में अपना पद धारण करेगा:

परन्तु —

(क) वह राज्यपाल को सम्बोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा और ऐसा त्यागपत्र इसके दिए जाने के यथाशक्य—शीघ्र प्रभावी होगा; या

(ख) उसे इस अधिनियम में उपबंधित रीति में उसके पद से हटाया जा सकेगा ।

लोकायुक्त का वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें।

7. लोकायुक्त का वेतन, भत्ते और उसकी सेवा की अन्य शर्तें वही होंगी, जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की हैं :

परन्तु यदि लोकायुक्त अपनी नियुक्ति के समय, भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी पूर्व सेवा की बाबत पेंशन (निःशक्तता पेंशन से भिन्न) प्राप्त करता है तो, लोकायुक्त के रूप में सेवा के सम्बन्ध में उसके वेतन में से—

(क) उस पेंशन की रकम को; और

(ख) यदि ऐसी नियुक्ति से पूर्व ऐसी पूर्व सेवा की बाबत उसको शोध्द्य पेंशन के किसी भाग के बदले में उसका संराशीकृत मूल्य प्राप्त किया है, तो पेंशन के उस भाग की रकम को घटा दिया जाएगा:

परन्तु यह और कि लोकायुक्त को संदेय वेतन, भत्ते और पेंशन में तथा उसकी सेवा की अन्य शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात् उसके लिए अलाभकर रूप में परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

8. लोकायुक्त पद पर न रहने के पश्चात्—

- (i) लोकायुक्त के रूप में पुनर्नियुक्ति के लिए अपात्र होगा;
- (ii) किसी राजनयिक कर्तव्यभार, किसी संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासक के रूप में नियुक्ति और ऐसे अन्य कर्तव्यभार या नियुक्ति के लिए, जो राज्यपाल द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुद्रा के अधीन अधिपत्र द्वारा किए जाने के लिए विधि द्वारा अपेक्षित है, अपात्र होगा;
- (iii) भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन लाभ के किसी अन्य पद पर आगे और नियोजन के लिए अपात्र होगा;
- (iv) पद त्याग करने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के भीतर, राष्ट्रपति या उप-राष्ट्रपति या संसद् के किसी भी सदन के सदस्य या राज्य विधान-मंडल के किसी भी सदन या नगरपालिका या पंचायत के सदस्य का कोई निर्वाचन लड़ने के लिए अपात्र होगा।

लोकायुक्त द्वारा पद पर न रहने के पश्चात् नियोजन पर निर्बन्धन।

9. (1) लोकायुक्त का सचिव, राज्य सरकार के सचिव की पंक्ति का होगा, जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा भेजे गए नामों के पैनल में से लोकायुक्त द्वारा की जाएगी।

लोकायुक्त का सचिव, अन्य अधिकारी तथा कर्मचारिवृंद।

(2) एक जांच निदेशक और एक अभियोजन निदेशक होगा, जो राज्य सरकार के अतिरिक्त सचिव या उसके समकक्ष की पंक्ति से नीचे का नहीं होगा, जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा भेजे गए नामों के पैनल में से लोकायुक्त द्वारा की जाएगी।

(3) लोकायुक्त के अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारिवृंद की नियुक्ति लोकायुक्त द्वारा या लोकायुक्त के ऐसे अधिकारी द्वारा की जाएगी, जिसे लोकायुक्त निदेश दे:

परंतु राज्यपाल, नियम द्वारा, यह अपेक्षा कर सकेगा कि ऐसे किसी पद या किन्हीं पदों की बाबत, जो नियम में विनिर्दिष्ट किए जाएं, नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श करने के पश्चात् की जाएगी।

(4) राज्य विधान-मण्डल द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबन्धों के अधीन रहते हुए लोकायुक्त के सचिव और अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारिवृंद के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी, जैसी लोकायुक्त के परामर्श के पश्चात् विहित की जाएं।

अध्याय-3

जांच खण्ड

जांच खण्ड।

10. (1) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, लोकायुक्त, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 या हिमाचल प्रदेश विनिर्दिष्ट भ्रष्ट 1988 का 49 आचरण निवारण अधिनियम, 1983 के अधीन दण्डनीय ऐसे किसी अपराध की, जिसके बारे में यह अभिकथन है कि वह लोक सेवक द्वारा किया गया है, प्रारम्भिक जांच करने के प्रयोजन के लिए, एक जांच खण्ड का गठन करेगा, जिसका अध्यक्ष जांच निदेशक होगा:

परन्तु राज्य सरकार, लोकायुक्त द्वारा जांच खण्ड का गठन किए जाने तक, इस अधिनियम के अधीन प्रारम्भिक जांच करने के लिए अपने विभागों से

उतनी संख्या में अधिकारी और अन्य कर्मचारिवृंद उपलब्ध कराएगी, जितने लोकायुक्त द्वारा अपेक्षित हों।

(2) इस अधिनियम के अधीन कोई प्रारम्भिक जांच करने में लोकायुक्त की सहायता करने के प्रयोजनों के लिए, जांच खण्ड के ऐसे अधिकारियों को, जो राज्य सरकार के उप सचिव की पंक्ति से नीचे के न हों, वही शक्तियां प्राप्त होंगी, जो धारा 22 के अधीन लोकायुक्त के जांच खण्ड को प्रदत्त की जाएं।

अध्याय-4

अभियोजन खण्ड

11. (1) लोकायुक्त, इस अधिनियम के अधीन लोकायुक्त को किसी शिकायत के संबंध में, लोक सेवकों का अभियोजन करने के प्रयोजन के लिए, अधिसूचना द्वारा एक अभियोजन खंड का गठन कर सकेगा, जिसका अध्यक्ष निदेशक, अभियोजन होगा: अभियोजन
खण्ड ।

परन्तु राज्य सरकार, लोकायुक्त द्वारा अभियोजन खंड का गठन किए जाने तक, इस अधिनियम के अधीन अभियोजन करने के लिए, अपने विभागों से उतनी संख्या में अधिकारी और अन्य कर्मचारिवृंद उपलब्ध कराएगी, जितने लोकायुक्त द्वारा अपेक्षित हों।

(2) निदेशक, अभियोजन लोकायुक्त द्वारा इस प्रकार निदेश दिए जाने के पश्चात्, विशेष न्यायालय के समक्ष अन्वेषण रिपोर्ट के निष्कर्षों के अनुसार मामला फाइल करेगा और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 या हिमाचल प्रदेश विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण निवारण अधिनियम, 1983 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के संबंध में लोक सेवकों के अभियोजन की बाबत सभी आवश्यक कदम उठाएगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन मामले को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 173 में निर्दिष्ट अन्वेषण के पूरा होने पर फाइल की गई रिपोर्ट समझा जाएगा।

लोकायुक्त के व्ययों का राज्य की संचित निधि पर भारित होना ।

लोकायुक्त के व्ययों का राज्य की संचित निधि पर भारित होना ।

12 लोकायुक्त के प्रशासनिक व्ययों को, जिसके अन्तर्गत लोकायुक्त या लोकायुक्त के सचिव या अन्य अधिकारियों या कर्मचारिवृन्द को या उनके संबंध में संदेय सभी वेतन, भत्ते और पेंशन भी है, राज्य की संचित निधि पर भारित किया जाएगा और लोकायुक्त द्वारा ली गई कोई फीस या अन्य धनराशियां उस निधि का भाग रूप होंगी ।

अध्याय-6

जांच के सम्बन्ध में अधिकारिता

लोकायुक्त की जांच की बाबत अधिकारिता ।

13. (1) इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, लोकायुक्त, निम्नलिखित के सम्बन्ध में किसी शिकायत में किए गए भ्रष्टाचार के किसी अभिकथन में अंतर्वलित या उससे उद्भूत होने वाले या उससे सम्बद्ध किसी मामले की जांच करेगा या जांच कराएगा, अर्थात् :-

(क) कोई व्यक्ति, जो मुख्यमन्त्री है या रहा है;

(ख) कोई व्यक्ति, जो मन्त्री है या रहा है;

(ग) कोई व्यक्ति, जो हिमाचल प्रदेश विधान सभा का सदस्य है या रहा है;

(घ) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 2 के खंड (ग) के उपखंड (i) और उपखंड (ii) या हिमाचल प्रदेश विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण निवारण अधिनियम, 1983 में परिभाषित लोक सेवकों में से राज्य सरकार के समस्त अधिकारी और पदधारी, जब वह राज्य के कार्यों के सम्बन्ध में सेवारत हैं या जिन्होंने सेवा की है; 1988 का 49

(ङ) खण्ड (घ) में निर्दिष्ट समस्त अधिकारी या पदधारी या संसद या राज्य विधान-मण्डल के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित या

राज्य सरकार द्वारा पूर्णतः या भागतः वित्तपोषित या उसके द्वारा नियन्त्रित किसी निकाय या बोर्ड या निगम या प्राधिकरण या कम्पनी या सोसाइटी या न्यास या स्वायत्त निकाय (चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो) में समतुल्य अधिकारी या पदधारी है;

- (च) ऐसा कोई व्यक्ति, जो राज्य विधान-मण्डल के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित या राज्य सरकार द्वारा पूर्णतः या भागतः वित्तपोषित या उसके द्वारा नियन्त्रित किसी निकाय या बोर्ड या निगम या प्राधिकरण या कम्पनी या सोसाइटी या न्यास या स्वायत्त निकाय (चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो) का अध्यक्ष या सदस्य या अधिकारी या कर्मचारी है, या रहा है :

परन्तु खण्ड (ड) में निर्दिष्ट ऐसे अधिकारियों के सम्बन्ध में, जिन्होंने संघ के कार्यों के सम्बन्ध में या खण्ड (घ) में निर्दिष्ट किसी निकाय या बोर्ड या निगम या प्राधिकरण या कम्पनी या सोसाइटी या न्यास या स्वायत्त निकाय में सेवा की है, किन्तु राज्य के कार्यों के सम्बन्ध में या संसद के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित या केन्द्रीय सरकार द्वारा पूर्णतः या भागतः वित्तपोषित या उसके द्वारा नियन्त्रित किसी निकाय या बोर्ड या निगम या प्राधिकरण या कम्पनी या सोसाइटी या न्यास या स्वायत्त निकाय (चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो) में सेवारत हैं, लोकायुक्त और उसके जांच खंड या अभियोजन खंड के अधिकारियों को केवल इस अधिनियम के अधीन ऐसे अधिकारियों की बाबत सम्बन्धित केन्द्रीय सरकार की सहमति प्राप्त करने के पश्चात् ही अधिकारिता होगी;

- (छ) ऐसा कोई व्यक्ति, जो सरकार द्वारा पूर्णतः या भागतः वित्तपोषित या सहायता प्राप्त प्रत्येक अन्य सोसाइटी या व्यक्ति-संगम या न्यास (चाहे तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत है या नहीं) का, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, जिसकी वार्षिक आय ऐसी रकम से अधिक है, जो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी है या रहा है;

(ज) ऐसा कोई व्यक्ति, जो विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 के अधीन किसी विदेशी स्रोत से एक वर्ष में दस लाख रूपए के आधिक्य में या ऐसी उच्चतर राशि, जो केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, सदान करने वाली प्रत्येक अन्य सोसाइटी या व्यक्ति-संगम या न्यास (चाहे तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत है या नहीं) का, निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी है या रहा है ।

स्पष्टीकरण.—खंड (छ) और खंड (ज) के प्रयोजन के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि कोई ऐसी इकाई या संस्था, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, निगम, सोसाइटी, न्यास, व्यक्ति-संगम, भागीदारी, एकल स्वत्वधारिता, परिसीमित दायित्व वाली भागीदारी (चाहे तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत है या नहीं) उन खंडों के अंतर्गत आने वाली इकाईयां होंगी :

परन्तु इस खण्ड में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 2 के खंड (ग) के अधीन लोक सेवक समझा जाएगा और उस अधिनियम और हिमाचल प्रदेश विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण निवारण अधिनियम, 1983 के उपबन्ध तदनुसार लागू होंगे ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, लोकायुक्त, विधान सभा के किसी सदस्य के विरुद्ध, उसके द्वारा विधान-मण्डल में या संविधान के अनुच्छेद 194 के खंड (2) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अन्तर्गत आने वाली उसकी किसी समिति में कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबन्ध में भ्रष्टाचार के किसी ऐसे अभिकथन में अन्तर्वलित या उससे उद्भूत होने वाले या उससे संबद्ध किसी मामले की जांच नहीं करेगा ।

(3) लोकायुक्त, उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्तियों से भिन्न किसी व्यक्ति के किसी कार्य या आचरण के बारे में जांच कर सकेगा, यदि ऐसा व्यक्ति भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 और हिमाचल प्रदेश विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण निवारण

अधिनियम, 1983 के अधीन उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति के विरुद्ध भ्रष्टाचार के किसी अभिकथन से संबंधित दुष्प्रेरण करने, रिश्वत देने या रिश्वत लेने या षडयन्त्र करने के कार्य में आलिप्त है:

परंतु संघ के कार्यों के सम्बंध में सेवारत किसी व्यक्ति की दशा में, केन्द्रीय सरकार की सहमति के बिना, इस धारा के अधीन कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

(4) ऐसा कोई मामला, जिसकी बाबत इस अधिनियम के अधीन लोकायुक्त को कोई शिकायत की गई है, जांच आयोग अधिनियम, 1952 के अधीन जांच के लिए निर्दिष्ट नहीं किया जाएगा।

स्पष्टीकरण.—शंकाओं को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि इस अधिनियम के अधीन कोई शिकायत केवल ऐसी अवधि से संबद्ध होगी, जिसके दौरान लोक सेवक उस हैसियत में पद धारण कर रहा था या सेवारत रहा था।

1988 का 49

14. यदि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 या हिमाचल प्रदेश विनिर्दिष्ट किसी न्यायालय या समिति या प्राधिकारी के समक्ष जांच के लिए लंबित मामलों का प्रभावित न होना।
 भ्रष्ट आचरण निवारण अधिनियम, 1983 के अधीन भ्रष्टाचार के अभिकथन से सम्बंधित कोई मामला या कार्यवाही इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व या इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात् किसी जांच के प्रारंभ से पूर्व, किसी न्यायालय या राज्य विधान सभा की समिति के समक्ष या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित है, तो ऐसा मामला या कार्यवाही उस न्यायालय, समिति या प्राधिकारी के समक्ष जारी रहेगी।

अध्याय-7

प्रारंभिक जांच और अन्वेषण के सम्बंध में प्रक्रिया

15. (1) लोकायुक्त शिकायत की प्राप्ति पर, यदि वह आगे कार्यवाही करने के विनिश्चय करता है तो वह—

(क) किसी लोक सेवक के विरुद्ध अपने जांच खण्ड या किसी सम्बंधित उपबन्ध।
 अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या मामले में शिकायतों और प्रारम्भिक जांच तथा अन्वेषण से सम्बंधित उपबन्ध।

अग्रसर होने के लिए कोई प्रथमदृष्ट्या मामला बनता है प्रारम्भिक जांच के लिए आदेश दे सकेगा; या

(ख) जब कोई प्रथमदृष्ट्या मामला बनता है, तो किसी अभिकरण द्वारा अन्वेषण का आदेश दे सकेगा:

परन्तु लोकायुक्त, यदि उसने प्रारम्भिक जांच में आगे कार्यवाही का विनिश्चय किया हो तो वह किसी साधारण या विशेष आदेश द्वारा, लोक सेवकों की बाबत उस द्वारा प्राप्त की गई शिकायतों या शिकायतों के किसी वर्ग या किसी शिकायत को इस अधिनियम के अधीन गठित जांच खण्ड को निर्दिष्ट करेगा:

परन्तु यह और कि जांच खण्ड पहले परंतुक के अधीन उसे निर्दिष्ट की गई शिकायत (शिकायतों) के सम्बन्ध में, लोक सेवकों की बाबत प्रारम्भिक जांच करने के पश्चात् उपधारा (2) और (4) में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार लोकायुक्त को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार कार्यवाही करेगा:

परन्तु यह और कि खण्ड (ख) के अधीन कोई अन्वेषण का आदेश करने से पूर्व लोकायुक्त, लोक सेवक से स्पष्टीकरण मांगेगा ताकि यह अवधारित हो सके कि क्या अन्वेषण के लिए कोई प्रथमदृष्ट्या मामला बनता है:

परन्तु यह और कि किसी अन्वेषण से पूर्व लोक सेवक से स्पष्टीकरण मांगना, तलाशियों और अभिग्रहण में हस्तक्षेप नहीं होगा, यदि कोई इस अधिनियम के अधीन जांच खण्ड द्वारा किया जाना अपेक्षित है।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रारम्भिक जांच के दौरान, जांच खंड प्रारम्भिक जांच करेगा और संगृहीत सामग्री सूचना और दस्तावेजों के आधार पर लोक सेवक और सक्षम प्राधिकारी से शिकायत में किए गए अभिकथनों पर टिप्पण मांगेगा और

सम्बंधित लोक सेवक तथा सक्षम प्राधिकारी से टिप्पण अभिप्राप्त करने के पश्चात्, निर्देश की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन के भीतर, लोकायुक्त को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(3) लोकायुक्त जांच खंड या किसी अभिकरण से उपधारा (2) के अधीन प्राप्त प्रत्येक रिपोर्ट पर विचार करेगी और लोक सेवक को सुने जाने का अवसर प्रदान करने के पश्चात् इस बात का विनिश्चय करेगा कि क्या प्रथमदृष्ट्या कोई मामला बनता है और निम्नलिखित कार्रवाइयों में से एक या अधिक के सम्बन्ध में कार्यवाही करेगा, अर्थात्:—

(क) किसी अभिकरण द्वारा अन्वेषण; या

(ख) सक्षम प्राधिकारी द्वारा सम्बंधित लोक सेवकों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाहियां या कोई अन्य समुचित कार्रवाई आरंभ किया जाना; या

(ग) लोक सेवक के विरुद्ध कार्रवाइयों को बंद किया जाना और धारा 41 के अधीन शिकायतकर्ता के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना।

(4) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक प्रारंभिक जांच साधारणतया शिकायत की प्राप्ति की तारीख से नब्बे दिन की अवधि के भीतर और लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से नब्बे दिन की और अवधि के भीतर पूरी की जाएगी।

(5) यदि लोकायुक्त शिकायत का अन्वेषण करने की कार्यवाही करने का विनिश्चय करता है तो वह किसी अभिकरण को यथासाध्य—शीघ्र अन्वेषण करने का निर्देश देगा और अपने आदेश की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर अन्वेषण पूरा करेगा:

परंतु लोकायुक्त लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से उक्त अवधि को एक बार में छह मास की और अवधि तक बढ़ा सकेगा।

(6) लोकायुक्त द्वारा किसी अभिकरण से प्राप्त प्रत्येक रिपोर्ट पर विचार करेगा और सक्षम प्राधिकारी और लोक सेवक की टिप्पणियां अभिप्राप्त करने के पश्चात्—

(क) लोक सेवक के विरुद्ध विशेष न्यायालय के समक्ष, आरोपपत्र फाइल किए जाने या मामला बंद किए जाने की रिपोर्ट फाइल किए जाने के बारे में अभियोजन खण्ड या अन्वेषण अभिकरण को अपनी अनुमति प्रदान करेगा; या

(ख) सक्षम प्राधिकारी द्वारा सम्बंधित लोक सेवकों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाहियां या कोई अन्य समुचित कार्रवाई प्रारंभ किए जाने के बारे में, निदेश दे सकेगा।

(7) लोकायुक्त, आरोप-पत्र फाइल किए जाने पर उपधारा (6) के अधीन कोई विनिश्चय करने के पश्चात् अपने अभियोजन खंड को, किसी अभिकरण द्वारा अन्वेषण किए गए मामलों के सम्बंध में विशेष न्यायालय में अभियोजन आरंभ करने का निदेश दे सकेगा।

(8) लोकायुक्त, यथास्थिति, प्रारंभिक जांच या अन्वेषण के दौरान, यथास्थिति, प्रारंभिक जांच या अन्वेषण से सुसंगत दस्तावेजों की सुरक्षित अभिरक्षा संबंधी ऐसे समुचित आदेश पारित कर सकेगा, जो वह ठीक समझे।

(9) लोकायुक्त की वेबसाइट पर समय-समय पर और ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, उसके समक्ष लंबित शिकायतों या उसके द्वारा निपटाई गई शिकायतों की प्रास्थिति जनता के लिए प्रदर्शित की जाएगी।

(10) लोकायुक्त ऐसे मूल अभिलेखों और साक्ष्यों को प्रतिधारित कर सकेगा, जिनकी उसके द्वारा या विशेष न्यायालय द्वारा मामले की प्रारंभिक जांच या अन्वेषण या संचालन की प्रक्रिया में आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

(11) इसमें यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इस अधिनियम के अधीन प्रारंभिक जांच या अन्वेषण करने (जिसके अंतर्गत लोक सेवक को उपलब्ध कराई

जाने वाली ऐसी सामग्री और दस्तावेज भी हैं) की रीति और प्रक्रिया ऐसी होगी, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।

16. यदि कार्यवाही के किसी प्रक्रम पर लोकायुक्त-

प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने की सम्भावना वाले व्यक्तियों को सुना जाना।

(क) अभियुक्त से भिन्न किसी व्यक्ति के आचरण के बारे में जांच करना आवश्यक समझता है; या

(ख) की यह राय है कि अभियुक्त से भिन्न किसी व्यक्ति की ख्याति पर प्रारंभिक जांच से प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है, तो लोकायुक्त, उस व्यक्ति को प्रारंभिक जांच में सुने जाने का और अपनी प्रतिरक्षा में साक्ष्य प्रस्तुत करने का नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों से संगत युक्तियुक्त अवसर प्रदान करेगा।

17. इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी प्रारंभिक जांच या अन्वेषण के प्रयोजन के लिए, यथास्थिति, लोकायुक्त या अन्वेषण अधिकरण, किसी लोक सेवक या किसी अन्य व्यक्ति से, जो उसकी राय में ऐसी प्रारंभिक जांच या अन्वेषण से सुसंगत सूचना देने या दस्तावेज प्रस्तुत करने में सक्षम है, ऐसी कोई सूचना देने या ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा।

लोकायुक्त द्वारा किसी लोक सेवक या किसी अन्य व्यक्ति से सूचना प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना।

18. (1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 197 या भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 19 में अन्तर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना लोकायुक्त को धारा (15) की उपधारा (6) के खण्ड (क) के अधीन अभियोजन हेतु अनुमति प्रदान करने की शक्ति होगी।

लोकायुक्त की अभियोजना प्रारम्भ करने की मंजूरी देने की शक्ति।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई भी अभियोजन किसी भी लोक सेवक के विरुद्ध आरम्भ नहीं किया जाएगा जो ऐसे किसी अपराध का अभियुक्त है जिसके बारे में यह अभिकथन है कि वह उस द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में कार्य करते हुए किया गया है या किया गया तात्पर्यित है तथा कोई भी न्यायालय लोकायुक्त की पूर्व मंजूरी के बिना ऐसे अपराध का संज्ञान नहीं लेगा।

(3) उपधारा (1) और (2) में अन्तर्विष्ट कोई बात, ऐसे व्यक्तियों के सम्बन्ध में, जो संविधान के उपबंधों के अनुसरण में पद धारण कर रहे हैं और जिनके सम्बन्ध में ऐसे व्यक्ति को हटाने की प्रक्रिया उसमें विनिर्दिष्ट की गई है, लागू नहीं होगी।

(4) उपधारा (1), (2) और (3) में अन्तर्विष्ट उपबन्ध संविधान के अनुच्छेद 311 और अनुच्छेद 320 के खंड (3) के उप-खंड (ग) में अन्तर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होंगे।

ऐसे लोक सेवकों के विरुद्ध, जो मुख्य मंत्री, मंत्री या विधानसभा के सदस्य हैं, अन्वेषण पर कार्रवाई।

19. जहां अन्वेषण पूरा हो जाने के पश्चात् लोकायुक्त के निष्कर्षों से, धारा (13) की उपधारा (1) के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) में निर्दिष्ट किसी लोक सेवक द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 या हिमाचल प्रदेश विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण निवारण अधिनियम, 1983 के अधीन किसी अपराध के किए जाने का प्रकटन होता है, वहां लोकायुक्त विशेष न्यायालय में मामला फाइल कर सकेगा और अपने निष्कर्षों के साथ रिपोर्ट की एक प्रति सक्षम प्राधिकारी को भेजेगा।

अध्याय-8

लोकायुक्त की शक्तियां

लोकायुक्त की पर्यवेक्षण सम्बन्धी शक्तियां।

20. (1) लोकायुक्त को, इस अधिनियम के अधीन लोकायुक्त द्वारा प्रारम्भिक जांच या अन्वेषण के लिए निर्दिष्ट किए गए मामलों के सम्बन्ध में अधीक्षण और निदेश देने की शक्तियां होंगी:

परन्तु इस उपधारा के अधीन अधीक्षण या निदेश देने की शक्तियों का प्रयोग करते हुए लोकायुक्त शक्तियों का प्रयोग ऐसी किसी रीति में नहीं करेगा, जिससे किसी अभिकरण से जिसे अन्वेषण का कार्य सौंपा गया है, किसी मामले का किसी विशिष्ट रीति में अन्वेषण करने और उसे निपटाने की अपेक्षा की जा सके।

(2) जांच खण्ड, धारा (15) की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक के अधीन उसे निर्दिष्ट की गई शिकायतों पर की गई कार्रवाई के सम्बन्ध में लोकायुक्त को ऐसे अन्तराल पर, जो लोकायुक्त निदेश दे, विवरण भेजेगा और ऐसे विवरण को प्राप्त

करने पर लोकायुक्त उन मामलों के प्रभावी और शीघ्र निपटारे के लिए दिशानिर्देश जारी कर सकेगा ।

(3) जांच और अन्वेषण खण्ड का कोई अधिकारी, जो लोकायुक्त द्वारा निर्दिष्ट किसी मामले का अन्वेषण कर रहा हो, लोकायुक्त के अनुमोदन के बिना स्थानान्तरित नहीं किया जाएगा ।

(4) अभियोजन खण्ड, लोकायुक्त की सहमति से लोकायुक्त द्वारा इसको निर्दिष्ट मामलों का संचालन करने हेतु सरकारी अधिवक्ताओं से भिन्न, अधिवक्ताओं का कोई पैनल नियुक्त कर सकेगा ।

(5) राज्य सरकार, समय समय पर, ऐसी निधियां उपलब्ध करवा सकेगी, जैसी लोकायुक्त द्वारा शिकायतों या मामलों की प्रभावी जांच या अन्वेषण के संचालन के लिए अपेक्षित हो ।

21. (1) यदि लोकायुक्त के पास यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसा कोई दस्तावेज, जो उसकी राय में, इस अधिनियम के अधीन किसी प्रारम्भिक जांच के लिए उपयोगी या उससे सुसंगत होगा, किसी स्थान में छिपाया गया है तो वह ऐसे अभिकरण जिसे अन्वेषण का कार्य सौंपा गया है, ऐसे दस्तावेजों के लिए तलाशी लेने और उनका अभिग्रहण करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा ।

तलाशी और
अभिग्रहण ।

(2) यदि लोकायुक्त का यह समाधान हो जाता है कि उपधारा (1) के अधीन अभिगृहीत किसी दस्तावेज को इस अधिनियम के अधीन किसी अन्वेषण के प्रयोजन के लिए साक्ष्य के रूप में प्रयोग किया जा सकता है और यह कि ऐसे दस्तावेज को उसकी अभिरक्षा में या ऐसे अधिकारी की अभिरक्षा में, जो प्राधिकृत किया जाए, प्रतिधारित करना आवश्यक होगा तो वह ऐसा अन्वेषण पूरा हो जाने तक ऐसे दस्तावेज को उस प्रकार प्रतिधारित करेगा या ऐसे प्राधिकृत अधिकारी को, उन्हें प्रतिधारित करने का निदेश दे सकेगा:

परन्तु जहां किसी दस्तावेज को वापस करना अपेक्षित है, वहां लोकायुक्त या प्राधिकृत अधिकारी, ऐसे दस्तावेज की सम्यक् रूप से अधिप्रमाणित प्रतियों को प्रतिधारित करने के पश्चात्, उसे वापस कर सकेगा ।

लोकायुक्त को
कतिपय मामलों
में सिविल
न्यायालय की
शक्तियां होना।

22. (1) इस धारा के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किसी प्रारम्भिक जांच के प्रयोजन के लिए, लोकायुक्त के जांच खण्ड को, मामले का विचारण करते समय निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी, अर्थात्:-

- (i) किसी व्यक्ति को समन करना और उसको हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना;
- (ii) किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण और पेश किए जाने की अपेक्षा करना;
- (iii) शपथपत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना;
- (iv) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की अध्यपेक्षा करना;
- (v) साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना:

परन्तु किसी साक्षी की दशा में ऐसा कमीशन केवल वहां निकाला जाएगा, जहां लोकायुक्त की राय में साक्षी लोकायुक्त के समक्ष कार्यवाहियों में हाजिर होने की स्थिति में नहीं है; और

(vi) ऐसे अन्य विषय, जो विहित किए जाएं ।

(2) लोकायुक्त के समक्ष कोई कार्यवाही, भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 193 के अर्थात्गत न्यायिक कार्यवाही समझी जाएगी ।

लोकायुक्त की
राज्य सरकार
के
अधिकारियों
की सेवाओं
का उपयोग
करने की
शक्ति।

23. (1) लोकायुक्त, कोई प्रारम्भिक जांच या अन्वेषण करने के प्रयोजन के लिए, राज्य सरकार के किसी अधिकारी या संगठन या अभिकरण की सेवाओं का उपयोग कर सकेगा ।

(2) ऐसी जांच या अन्वेषण से सम्बन्धित किसी मामले में प्रारम्भिक जांच या अन्वेषण करने के प्रयोजन के लिए, ऐसा कोई अधिकारी या संगठन या अभिकरण,

जिसकी सेवाओं का उपयोग उपधारा (1) के अधीन किया जाता है, लोकायुक्त के अधीक्षण और निदेशन के अधीन रहते हुए—

- (क) किसी व्यक्ति को समन कर सकेगा और हाजिर करा सकेगा तथा उसकी परीक्षा कर सकेगा;
- (ख) किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण और पेश किए जाने की अपेक्षा कर सकेगा; और
- (ग) किसी कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की अध्यक्षता कर सकेगा ।

(3) वह अधिकारी या संगठन या अभिकरण, जिसकी सेवाओं का उपयोग उपधारा (2) के अधीन किया जाता है, प्रारम्भिक जांच या अन्वेषण से सम्बन्धित किसी मामले की, यथास्थिति, जांच या अन्वेषण करेगा और लोकायुक्त को, ऐसी अवधि के भीतर, जो इस निमित्त उसके द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, उस पर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।

24. (1) जहां लोकायुक्त या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी के पास विश्वास करने का कारण है तो उसके कब्जे में की किसी सामग्री के आधार पर ऐसे विश्वास के कारण को लिखित में अभिलिखित किया जाएगा, कि—

परिसम्पत्तियों की अनन्तिम कुर्की।

- (क) किसी व्यक्ति के कब्जे में भ्रष्टाचार का कोई आगम है;
- (ख) ऐसा व्यक्ति भ्रष्टाचार से सम्बन्धित कोई अपराध कारित करने का अभियुक्त है; और
- (ग) भ्रष्टाचार के ऐसे आगमों को छिपाने, अंतरित करने या ऐसी रीति से बरतने की संभावना है, जिसके परिणामस्वरूप भ्रष्टाचार के ऐसे आगमों के अधिहरण से सम्बन्धित कोई कार्यवाहियां विफल हो सकेंगी, वहां लोकायुक्त या प्राधिकृत अधिकारी लिखित आदेश द्वारा ऐसी संपत्ति को, ऐसे आदेश की तारीख से नब्बे दिन

से अनधिक अवधि के लिए, आयकर अधिनियम, 1961 की दूसरी अनुसूची में उपबंधित रीति में, अनंतिम रूप से कुर्क कर सकेगा और लोकायुक्त तथा अधिकारी को उस अनुसूची के नियम 1 के उप-नियम (ड) के अधीन कोई अधिकारी समझा जाएगा ।

(2) लोकायुक्त या इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी उपधारा (1) के अधीन कुर्की के तुरन्त पश्चात्, आदेश की एक प्रति, उस उपधारा में निर्दिष्ट उसके कब्जे में की सामग्री सहित, एक सीलबंद लिफाफे में उस रीति में, जो विहित की जाए, विशेष न्यायालय को अग्रेषित करेगा और ऐसा न्यायालय कुर्की के आदेश को विस्तारित कर सकेगा और ऐसी सामग्री को ऐसी अवधि के लिए, जो न्यायालय ठीक समझे, रख सकेगा ।

(3) उपधारा (1) के अधीन किया गया कुर्की का प्रत्येक आदेश, उस उपधारा में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पश्चात् या उपधारा (2) के अधीन विशेष न्यायालय द्वारा यथानिदेशित अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्रभावी नहीं रहेगा ।

(4) इस धारा की कोई बात उपधारा (1) या (2) के अधीन कुर्क की गई स्थावर संपत्ति के उपभोग में हितबद्ध किसी व्यक्ति को ऐसे उपभोग से निवारित नहीं करेगी ।

स्पष्टीकरण.—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, किसी स्थावर संपत्ति के सम्बन्ध में "हितबद्ध व्यक्ति" के अंतर्गत उस संपत्ति में किसी हित का दावा करने वाले या दावा करने के हकदार सभी व्यक्ति भी हैं ।

परिसम्पत्तियों
की कुर्की की
पुष्टि ।

25. (1) लोकायुक्त, जब वह धारा 24 की उपधारा (1) के अधीन किसी संपत्ति को अन्तिम रूप से कुर्क करता है, ऐसी कुर्की की तीस दिन की अवधि के भीतर, अपने अभियोजन खण्ड को, विशेष न्यायालय के समक्ष ऐसी कुर्की के तथ्यों का कथन करते हुए आवेदन फाइल करने तथा विशेष न्यायालय में लोक सेवक के विरुद्ध कार्यवाहियों के पूरा होने तक संपत्ति की कुर्की की पुष्टि के लिए प्रार्थना करने का निदेश देगा ।

(2) विशेष न्यायालय, यदि उसकी यह राय है कि अंतिम रूप से कुर्की की गई संपत्ति का अर्जन भ्रष्ट साधनों से किया गया है, तो वह विशेष न्यायालय में लोक सेवक के विरुद्ध कार्यवाहियों के पूरा होने तक ऐसी संपत्ति की कुर्की की पुष्टि के लिए आदेश कर सकेगा ।

(3) यदि लोक सेवक को बाद में उसके विरुद्ध विरचित आरोपों से दोषमुक्त कर दिया जाता है तो विशेष न्यायालय के आदेशों के अधीन रहते हुए संपत्ति को, ऐसी संपत्ति से फायदों सहित, जो कुर्की की अवधि के दौरान उपगत हुए हों, सम्बन्धित लोक सेवक को प्रत्यावर्तित किया जाएगा ।

(4) यदि लोक सेवक को बाद में भ्रष्टाचार के आरोपों के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता है तो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 या हिमाचल प्रदेश 1988 का 49 विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण निवारण अधिनियम, 1983 के अधीन अपराध से सम्बन्धित आगमों को अधिहृत किया जाएगा और वे, किसी बैंक या वित्तीय संस्था को शोध्य किसी ऋण को छोड़ कर, केन्द्रीय सरकार में किसी विल्लंगम या पट्टाधृत हित से मुक्त रूप में निहित होंगे ।

स्पष्टीकरण.—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए "बैंक", "ऋण" और "वित्तीय संस्था" पदों के वही अर्थ होंगे जो बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 2 के खण्ड (घ), खण्ड (छ) और खण्ड (ज) 1983 का 51 में क्रमशः उनके हैं ।

26. (1) धारा (24) और (25) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जहां विशेष न्यायालय के पास, प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य के आधार पर, यह विश्वास करने का कारण है या उसका यह समाधान हो जाता है कि परिसम्पत्तियाँ, आगम, प्राप्तियाँ और फायदे, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, लोक सेवक द्वारा भ्रष्टाचार के साधनों द्वारा उद्भूत या उपाप्त किए गए हैं, वहां वह उसके दोषमुक्त किए जाने तक ऐसी परिसम्पत्तियों, आगमों, प्राप्तियाँ और फायदों के अधिहरण को प्राधिकृत कर सकेगा ।

विशेष परिस्थितियों में भ्रष्टाचार के साधनों द्वारा उद्भूत या उपाप्त परिसम्पत्तियों, आगमों, प्राप्तियाँ और फायदों का अधिहरण ।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन किया गया अधिहरण का कोई आदेश उच्च न्यायालय द्वारा उपांतरित या बातिल कर दिया जाता है या जहां लोक सेवक को विशेष न्यायालय द्वारा दोषमुक्त कर दिया जाता है, वहां उपधारा (1) के अधीन अधिहृत परिसम्पत्तियों, आगमों, प्राप्तियों और फायदों को ऐसे लोक सेवक को वापस कर दिया जाएगा और यदि किसी कारण से परिसम्पत्तियों, आगमों, प्राप्तियों और फायदों को वापस किया जाना संभव नहीं है तो ऐसे लोक सेवक को इस प्रकार अधिहृत किए गए धन सहित उसकी कीमत का, अधिहरण की तारीख से उस पर पांच प्रतिशत वार्षिक की दर से परिकलित ब्याज के साथ संदाय किया जाएगा ।

लोकायुक्त की भ्रष्टाचार के अभिकथन से सम्बद्ध लोक सेवक के स्थानान्तरण या निलम्बन की सिफारिश करने की शक्ति।

27. (1) जहां लोकायुक्त का, भ्रष्टाचार के अभिकथनों की प्रारम्भिक जांच करते समय, उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर, प्रथमदृष्ट्या यह समाधान हो जाता है कि—

- (i) प्रारम्भिक जांच करते समय धारा (13) की उपधारा (1) के खण्ड (घ) या खण्ड (ङ) या खण्ड (च) में निर्दिष्ट लोक सेवक के अपने पद पर बने रहने से ऐसी प्रारम्भिक जांच पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है; या
- (ii) ऐसे लोक सेवक साक्ष्य को नष्ट या किसी रूप में उसके साथ छेड़छाड़ या साक्ष्यों को प्रभावित कर सकता है, वहां लोकायुक्त, ऐसे लोक सेवक को, ऐसी अवधि तक, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, उसके द्वारा धारित पद से स्थानान्तरित या निलम्बित करने के लिए राज्य सरकार को सिफारिश कर सकेगा ।

(2) राज्य सरकार, उपधारा (1) के अधीन की गई लोकायुक्त की सिफारिश को सामान्यतया स्वीकार करेगी सिवाय उस मामले में, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, जहां प्रशासनिक कारणों से ऐसा करना व्यवहार्य नहीं है।

लोकायुक्त की प्रारम्भिक जांच के दौरान अभिलेखों को नष्ट किए जाने से रोकने के लिए निदेश देने की शक्ति।

28. लोकायुक्त, किसी ऐसे लोक सेवक को, जिसे किसी दस्तावेज या अभिलेख को तैयार करने या उसकी अभिरक्षा रखने का कार्य सौंपा गया है, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन में—

- (क) ऐसे दस्तावेज या अभिलेख को नष्ट किए जाने या नुकसान पहुंचाने से उसका संरक्षण करने; या

- (ख) लोक सेवक को ऐसे दस्तावेज या अभिलेख में परिवर्तन करने या उसे छिपाने से रोकने; या
- (ग) लोक सेवक को भ्रष्ट साधनों के माध्यम से उसके द्वारा अभिकथित रूप से अर्जित किन्हीं परिसम्पत्तियों को अंतरित करने या उनका अन्य संक्रामण करने से रोकने, के लिए समुचित निदेश जारी कर सकेगा।

29. लोकायुक्त, लिखित में साधारण या विशेष आदेश द्वारा और ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाएं, यह निदेश दे सकेगा कि उसको प्रदत्त किसी प्रशासनिक या वित्तीय शक्ति का, उसके ऐसे अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा भी, जो उस आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं, प्रयोग या निर्वहन किया जा सकेगा। प्रत्यायोजन की शक्ति।

अध्याय-9

विशेष न्यायालय

30. (1) राज्य सरकार, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988, और हिमाचल प्रदेश विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण निवारण अधिनियम, 1983 या इस अधिनियम के अधीन उद्भूत मामलों की सुनवाई और उनका विनिश्चय करने के लिए उतने विशेष न्यायालयों का गठन करेगी, जितने की लोकायुक्त द्वारा सिफारिश की जाए। राज्य सरकार द्वारा विशेष न्यायालयों का गठन किया जाना।

(2) उपधारा (1) के अधीन गठित विशेष न्यायालय, न्यायालय में मामले के फाइल किए जाने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर प्रत्येक विचारण का पूरा किया जाना सुनिश्चित करेंगे:

परंतु यदि विचारण एक वर्ष की अवधि के भीतर पूरा नहीं किया जा सकता है तो विशेष न्यायालय उसके लिए कारण अभिलिखित करेगा और उन कारणों से, जो अभिलिखित किए जाएं, तीन मास से अनधिक की और अवधि के

भीतर या ऐसी और अवधियों के भीतर, जो प्रत्येक तीन मास से अधिक की नहीं होगी, ऐसी प्रत्येक तीन मास की अवधि की समाप्ति से पूर्व, किंतु दो वर्ष से अनधिक की कुल अवधि के भीतर विचारण को, पूरा करेगा।

कतिपय मामलों
में संविदाकारी
राज्य को
अनुरोध-पत्र।

31. (1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, यदि, इस अधिनियम या दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन किसी अपराध या अन्य कार्यवाही में किसी प्रारंभिक जांच या अन्वेषण के प्रक्रम में, इस निमित्त लोकायुक्त के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विशेष न्यायालय को यह आवेदन किया जाता है कि इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध या कार्यवाही में प्रारंभिक जांच या अन्वेषण करने के संबंध में कोई साक्ष्य अपेक्षित है और उसकी यह राय है कि ऐसा साक्ष्य संविदाकारी राज्य में किसी स्थान पर उपलब्ध हो सकेगा और विशेष न्यायालय का यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा साक्ष्य इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध या कार्यवाही में प्रारंभिक जांच या अन्वेषण के सम्बंध में अपेक्षित है, तो वह एक अनुरोध-पत्र, ऐसे अनुरोध पर कार्यवाही करने के लिए सक्षम संविदाकारी राज्य में किसी न्यायालय या प्राधिकारी को जारी कर सकेगा कि वह—

- (i) मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की परीक्षा करे;
- (ii) ऐसे कदम उठाए, जो विशेष न्यायालय ऐसे अनुरोध-पत्र में विनिर्दिष्ट करे; और
- (iii) ऐसे लिखे गए या एकत्रित किए गए सभी साक्ष्यों को ऐसा अनुरोध-पत्र जारी करने वाले विशेष न्यायालय को अग्रेषित करे।

(2) अनुरोध-पत्र ऐसी रीति में पारेषित किया जाएगा, जो राज्य सरकार इस निमित्त विहित करे।

(3) उपधारा (1) के अधीन अभिलिखित प्रत्येक कथन या प्राप्त दस्तावेज या चीज प्रारंभिक जांच या अन्वेषण के दौरान एकत्रित साक्ष्य समझा जाएगा।

लोकायुक्त और लोकायुक्त के पदधारियों के विरुद्ध शिकायतें

32. (1) लोकायुक्त अपने विरुद्ध की गई किसी शिकायत की जांच नहीं करेगा।

लोकायुक्त का हटाया जाना और उसका निलंबन।

(2) उपधारा (4) के उपबंधों के अध्याधीन, लोकायुक्त को विधान सभा के कम से कम पच्चीस सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका पर राज्यपाल द्वारा, उच्च न्यायालय को किए गए निर्देश पर, उस निमित्त विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई जांच पर रिपोर्ट दिए जाने के पश्चात् कि लोकायुक्त को साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर हटा दिया जाना चाहिए, राज्यपाल के आदेश द्वारा, उस आधार पर उसके पद से हटाया जाएगा।

(3) राज्यपाल, लोकायुक्त को, जिसके संबंध में उपधारा (2) के अधीन उच्च न्यायालय द्वारा कोई निर्देश किया गया है, इस बाबत उच्च न्यायालय की सिफारिशों या उसके द्वारा किए गए अंतरिम आदेश की प्राप्ति पर जब तक राज्यपाल ने ऐसे निर्देश पर उच्च न्यायालय की अन्तिम रिपोर्ट की प्राप्ति पर आदेश पारित नहीं किए हों, पद से निलंबित कर सकेगा।

(4) उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, राज्यपाल, आदेश द्वारा लोकायुक्त को पद से हटा सकेगा, यदि वह—

(क) दिवालिया न्यायनिर्णीत किया जाता है; या

(ख) अपनी पदावधि के दौरान अपने पद के कर्तव्यों से परे किसी वैतनिक नियोजन में लगता है; या

(ग) राज्यपाल की राय में मानसिक या शारीरिक शैथिल्य के कारण पद पर बने रहने के लिए अयोग्य है।

(5) यदि लोकायुक्त राज्य सरकार द्वारा या उसकी ओर से की गई किसी संविदा या किए गए किसी करार में किसी रूप में संबद्ध या हितबद्ध है या हो

जाता है या वह किसी रूप में उसके लाभ में या किसी सदस्य से भिन्न रूप में और किसी निगमित कंपनी के अन्य सदस्यों के साथ सामान्य रूप में उससे उद्भूत होने वाले किसी फायदे या परिलब्धि में भागीदार बनता है तो उसे उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए कदाचार का दोषी समझा जाएगा।

लोकायुक्त के पदधारियों के विरुद्ध शिकायतें।

33. (1) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 या हिमाचल प्रदेश विनिर्दिष्ट 1988 का 49 भ्रष्ट आचरण निवारण अधिनियम, 1983 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए लोकायुक्त के अधीन या उससे संबद्ध किसी अधिकारी या कर्मचारी यह किसी अभिकरण के विरुद्ध किए गए अभिकथन या दोषपूर्ण कार्य के संबंध में की गई प्रत्येक शिकायत पर इस धारा के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

(2) लोकायुक्त, उस शिकायत या अभिकथन की जांच; उसकी प्राप्ति की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर पूरी करेगा।

(3) लोकायुक्त अथवा लोकायुक्त में नियोजित या उससे संबद्ध किसी अभिकरण के किसी अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध शिकायत की जांच करते समय यदि, उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर उसका प्रथमदृष्ट्या यह समाधान हो जाता है, कि—

(क) जांच करते समय लोकायुक्त या उसमें नियोजित या उससे संबद्ध अभिकरण के ऐसे अधिकारी या कर्मचारी के अपने पद पर बने रहने से ऐसी जांच पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है; या

(ख) लोकायुक्त या उसमें नियोजित या संबद्ध अभिकरण का कोई अधिकारी या कर्मचारी साक्ष्य को नष्ट कर सकता है या किसी रूप में उसके साथ छेड़छाड़ कर सकता है या साक्षियों को प्रभावित कर सकता है, तो लोकायुक्त, आदेश द्वारा, लोकायुक्त के ऐसे अधिकारी या कर्मचारी को निलंबित कर सकेगा या लोकायुक्त में नियोजित या उससे संबद्ध ऐसे अभिकरण को, उसके द्वारा इससे पूर्व प्रयोग की गई सभी शक्तियों और उत्तरदायित्वों से निर्निहित कर सकेगा।

1988 का 49 (4) जांच पूरी हो जाने पर यदि लोकायुक्त का यह समाधान हो जाता है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 या हिमाचल प्रदेश विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण निवारण अधिनियम, 1983 के अधीन किसी अपराध या किसी दोषपूर्ण कार्य के किए जाने का प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य है, तो वह ऐसी जांच के पूरा होने की पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर लोकायुक्त के ऐसे अधिकारी या कर्मचारी या लोकायुक्त में नियोजित या उससे संबद्ध ऐसे अधिकारी, कर्मचारी, अभिकरण को अभियोजित करने का आदेश करेगा और संबंधित पदधारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाहियां आरंभ करेगा:

परंतु ऐसा कोई आदेश लोकायुक्त के ऐसे अधिकारी या कर्मचारी या उसमें नियोजित या उससे संबद्ध ऐसे अधिकारी, कर्मचारी, अभिकरण को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर दिए बिना पारित नहीं किया जाएगा।

अध्याय-11

विशेष न्यायालय द्वारा हानि का निर्धारण और उसकी वसूली

1988 का 49 34. यदि कोई लोक सेवक विशेष न्यायालय द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 या हिमाचल प्रदेश विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण निवारण अधिनियम, 1983 के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता है, तो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के होते हुए भी और उस पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, वह, ऐसे लोक सेवक द्वारा सद्भावपूर्वक न किए गए कार्यों या विनिश्चयों के कारण और जिनके लिए उसे सिद्धदोष ठहराया गया है, राजकोष को हुई हानि, यदि कोई हो, का निर्धारण कर सकेगा और इस प्रकार सिद्धदोष ठहराए गए लोक सेवक से, ऐसी हानि की, यदि संभव या परिमाणीय मात्रा में हो, वसूली का आदेश कर सकेगा: विशेष न्यायालय द्वारा हानि का निर्धारण और उसकी वसूली।

परंतु यदि विशेष न्यायालय, उन कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएं, इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि कारित हानि इस प्रकार सिद्धदोष ठहराए गए लोक सेवक के कार्यों या विनिश्चयों के हिताधिकारी या हिताधिकारियों के साथ षडयन्त्र के अनुसरण में हुई थी, तो ऐसी हानि, यदि वह इस धारा के अधीन निर्धारित की गई है और परिमाणीय मात्रा में है, आनुपातिक रूप से ऐसे हिताधिकारी या हिताधिकारियों से भी वसूल की जा सकेगी।

वित्त, लेखा और संपरीक्षा

बजट।

35. लोकायुक्त, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय पर, जो विहित किया जाए, अगले वित्तीय वर्ष के लिए, लोकायुक्त की प्राक्कलित प्राप्तियों और व्यय को दर्शाते हुए अपना बजट तैयार करेगा और उसे राज्य सरकार को सूचनार्थ अग्रेषित करेगा।

राज्य सरकार
द्वारा अनुदान।

36. राज्य सरकार इस निमित्त विधि द्वारा विधान सभा द्वारा किए गए सम्यक् विनियोग के पश्चात्, लोकायुक्त को ऐसी धनराशि अनुदत्त कर सकेगी, जो लोकायुक्त का संदेय वेतन और भत्तों के लिए और प्रशासनिक खर्चों के लिए, जिनके अंतर्गत लोकायुक्त के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को या उनके संबंध में संदेय वेतन और भत्ते तथा पेंशन भी है, संदत्त की जानी अपेक्षित है।

वार्षिक लेखा
विवरण।

37. (1) लोकायुक्त, उचित लेखों और अन्य सुसंगत अभिलेखों को बनाए रखेगा और ऐसे प्ररूप में, जो राज्य सरकार द्वारा महालेखाकार, हिमाचल प्रदेश के परामर्श से विहित किया जाए, लेखों का वार्षिक विवरण तैयार करेगा।

(2) लोकायुक्त के लेखों की संपरीक्षा भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक द्वारा प्रतिवर्ष की जाएगी।

(3) भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक को या इस अधिनियम के अधीन लोकायुक्त के लेखों की संपरीक्षा करने के संबंध में उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति को ऐसी संपरीक्षा के संबंध में वही अधिकार, विशेषाधिकार और प्राधिकार प्राप्त होंगे, जो सरकारी लेखों की संपरीक्षा के संबंध में साधारणतया भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक को प्राप्त हैं और विशिष्टतया बहियों, लेखों, संबंधित बाउचरों और अन्य दस्तावेजों तथा कागजपत्रों को प्रस्तुत करने की मांग करने और लोकायुक्त के कार्यालयों में से किसी भी कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार प्राप्त होगा।

(4) भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यथाप्रमाणित लोकायुक्त के लेखों को, उन पर संपरीक्षा रिपोर्ट सहित; प्रति वर्ष राज्य सरकार को अग्रेषित किया जाएगा और राज्य सरकार उसे राज्य विधान सभा के समक्ष रखवाएगी।

38. लोकायुक्त, राज्य सरकार को ऐसी विवरणियां और विवरण तथा लोकायुक्त की अधिकारिता के अधीन किसी विषय के संबंध में ऐसी विशिष्टियाँ, जिनकी राज्य सरकार समय-समय पर अपेक्षा करे, ऐसे समय पर और ऐसे प्ररूप तथा रीति में, जो विहित की जाए या जैसे राज्य सरकार द्वारा अनुरोध किया जाए, प्रस्तुत करेगा।

राज्य सरकार को विवरणियां, आदि प्रस्तुत करना।

अध्याय-13

परिसम्पत्तियों की घोषणा

39. (1) प्रत्येक लोक सेवक इस अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन यथा उपबंधित रीति में अपनी परिसम्पत्तियों और दायित्वों की घोषणा करेगा।

परिसम्पत्तियों की घोषणा।

(2) प्रत्येक लोक सेवक उस तारीख से, जिसको वह अपना पदग्रहण करने के लिए शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है, तीस दिन की अवधि के भीतर सक्षम प्राधिकारी को—

(क) उन परिसम्पत्तियों के संबंध में, जिनका वह, उसका पति या पत्नी और उसके आश्रित बालक, संयुक्ततः या पृथक्तः स्वामी या हिताधिकारी है; और

(ख) अपने और अपने पति या पत्नी और अपने आश्रित बालकों के दायित्वों के संबंध में, सूचना देगा।

(3) इस अधिनियम के प्रारंभ के समय, उस रूप में अपना पद धारण करने वाला कोई लोक सेवक इस अधिनियम के प्रवर्तन में आने के तीस दिन के भीतर सक्षम प्राधिकारी को उपधारा (2) में यथानिर्दिष्ट ऐसी परिसम्पत्तियों और दायित्वों से सम्बन्धित सूचना देगा।

(4) प्रत्येक लोक सेवक प्रत्येक वर्ष की 31 जुलाई को या उससे पूर्व उस वर्ष की 31 मार्च तक, उपधारा (2) में यथानिर्दिष्ट ऐसी परिसम्पत्तियों और दायित्वों की वार्षिक विवरणी सक्षम प्राधिकारी के पास फाइल करेगा।

(5) उपधारा (2) या (3) के अधीन सूचना और उपधारा (4) के अधीन वार्षिक विवरणी सक्षम प्राधिकारी को ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में प्रस्तुत की जाएगी जो विहित की जाए।

(6) सक्षम प्राधिकारी प्रत्येक विभाग के संबंध में यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे सभी विवरण उस वर्ष के 31 अगस्त तक ऐसे विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिए गए हैं।

स्पष्टीकरण.—इस धारा के प्रयोजनों के लिए “आश्रित बालक” से ऐसे पुत्र और पुत्रियां अभिप्रेत हैं जिनके पास उपार्जन के कोई पृथक् साधन नहीं हैं और अपनी आजीविका के लिए पूर्णतः लोक सेवक पर आश्रित हैं।

कतिपय मामलों में भ्रष्ट साधनों द्वारा परिसम्पत्तियों के अर्जन के बारे में उपधारणा।

40. यदि कोई लोक सेवक जान-बूझकर या ऐसे कारणों से जो न्यायसंगत नहीं हैं—

(क) अपनी परिसम्पत्तियों की घोषणा करने में असफल रहता है; या

(ख) ऐसी परिसम्पत्तियों की बाबत भ्रामक जानकारी देता है और उसके कब्जे में ऐसी परिसम्पत्तियाँ पाई जाती हैं जिनका प्रकटन नहीं किया गया है या जिनकी बाबत भ्रामक जानकारी दी गई थी, तो ऐसी परिसम्पत्तियों के बारे में, जब तक अन्यथा साबित न हो जाए, यह उपधारणा की जाएगी कि वे लोक सेवक की हैं और उन परिसम्पत्तियों के बारे में यह उपधारणा की जाएगी कि वे भ्रष्ट साधनों द्वारा अर्जित की गई हैं।

परंतु सक्षम प्राधिकारी लोक सेवक को ऐसे न्यूनतम मूल्य, जो विहित किया जाए, से अनधिक की परिसम्पत्तियों की बाबत सूचना देने से माफी दे सकेगा या छूट प्रदान कर सकेगा।

अपराध और शास्तियां

41. (1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, जो कोई इस अधिनियम के अधीन कोई मिथ्या और तुच्छ या तंग करने वाली शिकायत करता है, वह दोषसिद्धि पर, ऐसी अवधि के कारावास से, जो एक वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो एक लाख रूपए तक का हो सकेगा, दंडित किया जाएगा।

मिथ्या शिकायत के लिए अभियोजन और लोक सेवक को प्रतिकर आदि का संदाय।

(2) किसी विशेष न्यायालय के सिवाय, कोई भी न्यायालय उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा।

(3) कोई भी विशेष न्यायालय, किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जिसके विरुद्ध मिथ्या, तुच्छ या तंग करने वाली शिकायत की गई थी, या लोकायुक्त द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा शिकायत किए जाने पर ही उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध का संज्ञान लेगा अन्यथा नहीं।

(4) उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध के संबंध में अभियोजन लोक अभियोजक द्वारा किया जाएगा और ऐसे अभियोजन से संबंधित सभी व्ययों को राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

(5) ऐसे किसी व्यक्ति जो कोई व्यक्ति या सोसाइटी या व्यक्ति-संगम या न्यास है (चाहे वह रजिस्ट्रीकृत है अथवा नहीं) की, इस अधिनियम के अधीन कोई मिथ्या शिकायत करने के लिए, दोषसिद्धि की दशा में, ऐसा व्यक्ति ऐसे लोक सेवक को, जिसके विरुद्ध उसने मिथ्या शिकायत की थी, ऐसे लोक सेवक द्वारा मुकद्दमा लड़ने संबंधी विधिक व्ययों के अतिरिक्त, जो विशेष न्यायालय अवधारित करे, प्रतिकर का संदाय करने के लिए दायी होगा।

(6) इस धारा की कोई बात सद्भावपूर्वक की गई शिकायतों की दशा में लागू नहीं होगी।

स्पष्टीकरण.—इस उपधारा के प्रयोजन के लिए, “सद्भावपूर्वक” पद से किसी व्यक्ति द्वारा सम्यक् सतर्कता, ध्यान और दायित्व के भाव के साथ

सद्भावपूर्वक की गई या विश्वास किया गया अथवा भारतीय दण्ड संहिता, 1860 का 45 की धारा 79 के अधीन तथ्य की भूल से अपने को विधि द्वारा न्यायानुमत्त होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कोई कार्य अभिप्रेत है।

सोसाइटी या व्यक्ति-संगम या न्यास द्वारा मिथ्या शिकायत का किया जाना।

42. (1) जहां धारा 41 की उपधारा (1) के अधीन कोई अपराध किसी सोसाइटी या व्यक्ति-संगम या न्यास (चाहे वह रजिस्ट्रीकृत है अथवा नहीं) द्वारा किया गया है, वहां ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को, जो अपराध के कारित किए जाने के समय ऐसी सोसाइटी या व्यक्ति-संगम या न्यास का प्रत्यक्ष रूप से भागसाधक था और ऐसी सोसाइटी या व्यक्ति-संगम या न्यास के कारबार या कार्यों या क्रियाकलापों के संचालन के लिए उत्तरदायी था और साथ ही ऐसी सोसाइटी या व्यक्ति-संगम या न्यास को भी अपराध का दोषी समझा जाएगा और वह तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के लिए दायी होगा:

परंतु यह कि इस उपधारा की कोई बात, ऐसे किसी व्यक्ति को इस अधिनियम में उपबंधित किसी दंड के लिए उस दशा में दायी नहीं बनाएगी, यदि वह यह साबित कर देता है कि वह अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था और यह कि उसने ऐसे अपराध के कारित किए जाने के निवारण के लिए सभी सम्यक् तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी सोसाइटी या व्यक्ति-संगम या न्यास (चाहे वह रजिस्ट्रीकृत है अथवा नहीं) द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध ऐसी सोसाइटी या व्यक्ति-संगम या न्यास के किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या वह उसकी ओर से किसी उपेक्षा के कारण कारित हुआ है तो ऐसे निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी को भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और वह तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के लिए दायी होगा।

अध्याय-15

प्रकीर्ण

लोकायुक्त की रिपोर्टें।

43. लोकायुक्त का यह कर्तव्य होगा कि वह लोकायुक्त द्वारा किए गए कार्य के बारे में एक रिपोर्ट प्रति वर्ष राज्यपाल को प्रस्तुत करे और ऐसी रिपोर्ट के प्राप्त होने पर राज्यपाल उसकी एक प्रति, उन मामलों के संबंध में, यदि कोई हों,

जहां लोकायुक्त की सलाह को स्वीकार नहीं किया गया था, वहां ऐसी अस्वीकृति के कारणों सहित एक स्पष्टीकारक ज्ञापन के साथ, राज्य विधान सभा के समक्ष रखवाएगा।

1988 का 49

44. लोकायुक्त, ऐसे मामलों में जहां विनिश्चय में, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 या हिमाचल प्रदेश विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण निवारण अधिनियम, 1983 के अधीन भ्रष्टाचार के निष्कर्ष अंतर्विष्ट हैं, किसी लोक प्राधिकारी द्वारा लोक सेवाओं के परिदान और लोक शिकायतों के निवारण का उपबंध करने संबंधी तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि से उद्भूत होने वाली अपील के संबंध में अंतिम अपील प्राधिकारी के रूप में कार्य करेगा।

लोकायुक्त का तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि से उद्भूत होने वाली अपीलों के संबंध में अपील प्राधिकारी के रूप में कार्य करना।

45. इस अधिनियम के अधीन किसी लोक सेवक के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां ऐसी किसी बात के संबंध में नहीं होगी, जो सद्भावपूर्वक की गई है या उसके शासकीय कृत्यों के निर्वहन में या उसकी शक्तियों के प्रयोग में की जानी आशयित है।

किसी लोक सेवक द्वारा सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण।

46. लोकायुक्त के विरुद्ध या किसी अधिकारी, कर्मचारी, अभिकरण या किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां ऐसी किसी बात के संबंध में नहीं होंगी, जो इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई है या किए जाने के लिए आशयित है।

अन्य व्यक्तियों द्वारा सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण।

47. लोकायुक्त, लोकायुक्त के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को, जब वे इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों के अनुसरण में कार्रवाई कर रहे हों या कार्रवाई करने के लिए तात्पर्यित हों, भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझा जाएगा।

लोकायुक्त, लोकायुक्त के अधिकारियों और कर्मचारियों का लोक सेवक होना।

48. लोकायुक्त ऐसी किसी शिकायत की जांच या अन्वेषण नहीं करेगा, यदि वह शिकायत, उस तारीख से, जिसको उस शिकायत में उल्लिखित अपराध के किए जाने का अभिकथन किया गया है, पाँच वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात् की जाती है।

कतिपय मामलों में परिसीमा का लागू होना।

अधिकारिता
का वर्जन।

49. किसी भी सिविल न्यायालय को ऐसे किसी मामले के संबंध में अधिकारिता नहीं होगी, जिसका अवधारण करने के लिए लोकायुक्त इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन सशक्त है।

विधिक
सहायता।

50. लोकायुक्त, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को, जिसके विरुद्ध उसके समक्ष इस अधिनियम के अधीन कोई शिकायत फाइल की गई है, लोकायुक्त, के समक्ष अपने मामले की प्रतिरक्षा करने के लिए विधिक सहायता उपलब्ध कराएगा, यदि ऐसी सहायता के लिए अनुरोध किया जाता है।

अधिनियम का
अध्यारोही
प्रभाव होना।

51. इस अधिनियम के उपबंध, इस अधिनियम से भिन्न किसी अधिनियमिति या इस अधिनियम से भिन्न किसी अधिनियमिति के कारण प्रभाव रखने वाली किसी लिखत में अंतर्विष्ट उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी, प्रभावी होंगे।

इस अधिनियम
के उपबंधों का
अन्य विधियों
के अतिरिक्त
होना।

52. इस अधिनियम के उपबंध, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होंगे न कि उसके अल्पीकरण में।

अवमान के
लिए दण्ड
देने की
शक्ति।

53. लोकायुक्त को, अपने अवमान की बाबत वही अधिकारिता, शक्तियाँ और प्राधिकार होंगे और वह उनका वैसे ही प्रयोग करेगा जैसी उच्च न्यायालय के हैं और जैसा वह उनका प्रयोग करे तथा न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971 के उपबन्ध, इस प्रयोजन के लिए उपान्तरणों के अध्याधीन, इस प्रकार प्रभावी होंगे कि —

- (क) उसमें उच्च न्यायालय के निर्देशों का ऐसा अर्थ लगाया जाएगा कि उनके अन्तर्गत लोकायुक्त के प्रति किया गया निर्देश भी शामिल है;
- (ख) धारा 18 की उपधारा (1) लोकायुक्त को लागू नहीं होगी; और
- (ग) धारा 19 की उपधारा (1) के परन्तुक में किसी संघ राज्यक्षेत्र में न्यायिक आयुक्त के प्रति किए गए निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उसके अन्तर्गत लोकायुक्त को किया गया निर्देश भी शामिल है।

54. (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी। नियम बनाने की शक्ति।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबन्ध किया जा सकेगा, अर्थात् :-

- (क) धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट शिकायत का प्ररूप;
- (ख) ऐसा पद या ऐसे पद, जिनके संबंध में धारा 10 की उपधारा (3) के परंतुक के अधीन हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श करने के पश्चात् नियुक्ति की जाएगी;
- (ग) धारा 9 की उपधारा (4) के अधीन लोकायुक्त के परामर्श से सचिव और अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारिवृन्द के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें;
- (घ) ऐसे अन्य विषय, जिनके लिए लोकायुक्त को धारा 22 की उपधारा (1) के खंड (vi) के अधीन सिविल न्यायालय की शक्तियां होंगी;
- (ङ) धारा 24 की उपधारा (2) के अधीन विशेष न्यायालय को सामग्री के साथ कुर्की का आदेश भेजने की रीति;
- (च) धारा 31 की उपधारा (2) के अधीन अनुरोध-पत्र संप्रेषित करने की रीति;
- (छ) प्रत्येक वित्तीय वर्ष में आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बजट, जिसमें धारा 35 के अधीन लोकायुक्त की प्राकलित प्राप्तियां और व्यय दर्शित किए जाएंगे, तैयार करने का प्ररूप और समय;

- (ज) धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन लेखे और अन्य सुसंगत अभिलेख रखने के लिए प्ररूप और वार्षिक लेखा विवरणों का प्ररूप;
- (झ) विशिष्टियों के साथ वार्षिक विवरण और विवरणियां जिसमें धारा 38 के अधीन पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान इसके क्रियाकलापों का संक्षिप्त विवरण हो, सहित विवरणियों को तैयार करने के लिए प्ररूप और रीति तथा समय;
- (ञ) धारा 39 की उपधारा (5) के अधीन किसी लोक सेवक द्वारा फाइल की जाने वाली वार्षिक विवरणी का प्ररूप;
- (ट) ऐसा न्यूनतम मूल्य, जिसके लिए सक्षम प्राधिकारी किसी लोक सेवक को धारा 40 के परंतुक के अधीन परिसम्पत्तियों के संबध में सूचना प्रस्तुत करने से माफी दे सकेगा या छूट प्रदान कर सकेगा; और
- (ठ) ऐसा कोई अन्य विषय, जिसे विहित किया जाना है या जो विहित किया जाए।

लोकायुक्त की
विनियम बनाने
की शक्ति।

55. (1) लोकायुक्त, इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए उपबन्धों के अध्याधीन, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए विनियम बना सकेगा।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबन्ध किया जा सकेगा, अर्थात् :-

- (क) लोकायुक्त की वेबसाइट पर धारा 15 की उपधारा (9) के अधीन लम्बित या निपटाई गई सभी शिकायतों की प्रास्थिति, उनके प्रति निर्देश से अभिलेखों और साक्ष्य सहित, प्रदर्शित करने की रीति;
- (ख) धारा 15 की उपधारा (11) के अधीन कोई प्रारम्भिक जांच या अन्वेषण करने की रीति और प्रक्रिया; और

(ग) ऐसा कोई अन्य विषय, जिसे इस अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट किया जाना अपेक्षित है या विनिर्दिष्ट किया जाए।

56. इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम और विनियम, उसके बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, विधान सभा के समक्ष जब वह सत्र में हो, कुल पन्द्रह दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा, यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी और यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान से पूर्व विधान सभा उस नियम या विनियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाए या विधान सभा इस बात पर सहमत हो जाए कि वह नियम या विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तो तत्पश्चात् वह नियम या विनियम, यथास्थिति, ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा या वह निष्प्रभाव हो जाएगा, किन्तु नियम या विनियम के इस प्रकार परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

नियमों और विनियमों का रखा जाना।

57. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक प्रतीत हों :

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।

परन्तु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश, इस अधिनियम के प्रारंभ से दो वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा।

58. इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से या को हिमाचल प्रदेश लोक आयुक्त अधिनियम, 1983 (1983 का अधिनियम संख्यांक 17) निरसित किया गया समझा जाएगा (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् निरसित अधिनियम कहा गया है):

निरसन और व्यावृत्तियाँ।

परन्तु ऐसा निरसन निम्नलिखित को प्रभावित नहीं करेगा—


(क) निरसित अधिनियम के अधीन लोकायुक्त की नियुक्ति और उसकी पदावधि और सेवा की अन्य शर्तें तथा जो इस रूप में अपने कार्यकाल की शेष अवधि के लिए पद धारण करेगा; या

- (ख) लोकायुक्त के अधिकारियों और अन्य कर्मचारिवृन्द की नियुक्ति और उनकी सेवा की शर्तें तथा वे लोक आयुक्त के अधिकारी और पदधारी उस विस्तार तक लोकायुक्त के अधिकारी और पदधारी बने रहेंगे जहां तक कि उनकी सेवाएं लोकायुक्त के अध्यक्ष द्वारा आवश्यक समझी जाएं; या
- (ग) निरसित अधिनियम के अधीन अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व; या
- (घ) निरसित अधिनियम के विरुद्ध किए गए किसी अपराध के सम्बन्ध में उपगत किसी शास्ति, समपहरण या दण्ड; या
- (ङ) यथापूर्वोक्त किसी ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, दायित्व, शास्ति, समपहरण या दण्ड की बाबत कोई जांच, अन्वेषण, विधिक कार्यवाहियां या उपचार; और ऐसी कोई जांच, अन्वेषण, विधिक कार्यवाहियां या उपचार संस्थित किया जा सकेगा, जारी रखा जा सकेगा, या प्रवर्तित किया जा सकेगा और ऐसी कोई शास्ति, समपहरण या दण्ड अधिरोपित किया जा सकेगा, मानों उक्त अधिनियम के उपबन्ध निरसित नहीं किए गए थे :

परन्तु यह और कि पूर्ववर्ती परन्तुक के अध्यधीन निरसित अधिनियम के अधीन (की गई नियुक्ति या किए गए प्रत्यायोजन, जारी की गई अधिसूचना, जारी किया गया कोई आदेश, दी गई सूचना या दिया गया निदेश, बनाए गए नियमों या विनियमों सहित) की गई कोई बात या कार्रवाई, जहां तक यह इस अधिनियम के प्रवृत्त होने से ठीक पूर्व प्रवृत्त है, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी और तदनुसार तब तक प्रवृत्त रहेगी जब तक इस अधिनियम के अधीन की गई किसी बात या कार्रवाई द्वारा अधिक्रान्त नहीं कर दी जाती।

यह विधेयक विधान सभा द्वारा पारित किया गया है।


मैं, एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 199 के अर्थ के अन्तर्गत तक धन विधेयक है।


अध्यक्ष ।
हिमाचल प्रदेश
विधान सभा, शिमला

शिमला-171 004

दिनांक : 9-1-2015.

मैं यह विधेयक महामहिम राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता हूँ !




राज्यपाल ।
राज्यपाल
हिमाचल प्रदेश

शिमला-171 002

दिनांक 29-1-2015.

मैं इस विधेयक पर अनुमति देता हूँ।



प्रणव मुखर्जी

भारत का राष्ट्रपति

25/1/2015

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

BILL NO. 15 OF 2014

THE HIMACHAL PRADESH LOKAYUKTA BILL, 2014

(PASSED AS AMENDED BY THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

THE HIMACHAL PRADESH LOKAYUKTA BILL, 2014

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses:

CHAPTER-I

PRELIMINARY

1. Short title, extent, application and commencement.
2. Definitions.

CHAPTER-II

APPOINTMENT OF LOKAYUKTA

3. Eligibility for the appointment of Lokayukta.
4. Appointment of Lokayukta on recommendations of Selection Committee.
5. Filling of vacancy of Lokayukta.
6. Term of office of Lokayukta.
7. Salary, allowances and other conditions of service of Lokayukta.
8. Restriction on employment by Lokayukta after ceasing to hold office.
9. Secretary, other officers and staff of Lokayukta.

CHAPTER-III

INQUIRY WING

10. Inquiry Wing.

CHAPTER-IV

PROSECUTION WING

11. Prosecution Wing.

CHAPTER-V

EXPENSES OF LOKAYUKTA TO BE CHARGED ON CONSOLIDATED FUND OF THE STATE

12. Expenses of Lokayukta to be charged on consolidated fund of the State.

CHAPTER-VI

JURISDICTION IN RESPECT OF INQUIRY

13. Jurisdiction of Lokayukta in respect of Inquiry.
14. Matters pending before any court or committee or authority for inquiry not to be affected.

CHAPTER-VII

PROCEDURE IN RESPECT OF PRELIMINARY INQUIRY AND INVESTIGATION

15. Provisions relating to complaints and preliminary inquiry and investigation.
16. Persons likely to be prejudicially affected to be heard.
17. Lokayukta may require any public servant or any other person to furnish information.
18. Power of Lokayukta to grant sanction for initiating prosecution.
19. Action on investigation against public servant being Chief Minister, Ministers or Members of Legislative Assembly.

CHAPTER-VIII

POWERS OF LOKAYUKTA

20. Supervisory powers of Lokayukta.
21. Search and seizure.
22. Lokayukta to have powers of civil court in certain cases.
23. Power of Lokayukta to utilize services of officers of the State Government.
24. Provisional attachment of assets.
25. Confirmation of attachment of assets.
26. Confiscation of assets, proceeds, receipts and benefits arisen or procured by means of corruption in special circumstances.
27. Power of Lokayukta to recommend transfer or suspension of public servant connected with allegation of corruption.
28. Power of Lokayukta to give directions to prevent destruction of records during preliminary inquiry.
29. Power to delegate.

CHAPTER-IX

SPECIAL COURTS

30. Special Courts to be constituted by State Government.
31. Letter of request to a contracting State in certain cases.

CHAPTER-X

COMPLAINTS AGAINST LOKAYUKTA AND OFFICIALS OF LOKAYUKTA

32. Removal and suspension of Lokayukta.
33. Complaints against officials of Lokayukta.

CHAPTER-XI

ASSESSMENT OF LOSS AND RECOVERY THEREOF BY SPECIAL COURT

34. Assessment of loss and recovery thereof by Special Court.

CHAPTER-XII

FINANCE, ACCOUNTS AND AUDIT

35. Budget.
36. Grants by the State Government.
37. Annual statement of accounts.
38. Furnishing of returns etc. to State Government.

CHAPTER-XIII

DECLARATION OF ASSETS

39. Declaration of assets.
40. Presumption as to acquisition of assets by corrupt means in certain cases.

CHAPTER-XIV

OFFENCES AND PENALTIES

41. Prosecution for false complaint and payment of compensation, etc. to public servant.
42. False complaint made by society or association of persons or trust.

CHAPTER-XV

MISCELLANEOUS

43. Reports of Lokayukta.
44. Lokayukta to function as appellate authority for appeals arising out of any other law for the time being in force.
45. Protection of action taken in good faith by any public servant.
46. Protection of action taken in good faith by others.
47. Lokayukta, Officers and employees of Lokayukta to be public servants.
48. Limitation to apply in certain cases.
49. Bar of jurisdiction.
50. Legal assistance.
51. Act to have overriding effect.
52. Provisions of this Act to be in addition of other laws.
53. Power to punish for contempt.
54. Power to make rules.
55. Power of Lokayukta to make regulations.
56. Laying of rules and regulations.
57. Power to remove difficulties.
58. Repeal and savings.

THE HIMACHAL PRADESH LOKAYUKTA BILL, 2014

(PASSED AS AMENDED BY THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

to consolidate and re-enact a law to provide for the appointment of Lokayukta for the State of Himachal Pradesh to inquire into allegations of corruption against certain public functionaries and for matters connected therewith or incidental thereto.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-fifth Year of the Republic of India as follows:-

CHAPTER-I

PRELIMINARY

1. (1) This Act may be called the Himachal Pradesh Lokayukta Act, 2014. Short title, extent, application and commencement.
- (2) It extends to the whole of the State of Himachal Pradesh.
- (3) It shall apply to public servants in and outside the State.
- (4) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.
2. (1) In this Act, unless the context otherwise requires— Definitions.
 - (a) “competent authority” in relation to—
 - (i) the Chief Minister, means the Legislative Assembly of Himachal Pradesh;

- (ii) the Minister, means the Chief Minister;
- (iii) a Member of the Himachal Pradesh Legislative Assembly other than a Minister, means the Speaker of the Legislative Assembly;
- (iv) an officer in the Department of the State Government, means the Minister-in-Charge of the Department under which such officer is serving;
- (v) a Chairperson, Vice-chairperson or members of any body or Board or Corporation or authority or company or society or autonomous body (by whatever name called) established or constituted under any Act of Parliament or any Act of a State Legislature or wholly or partly financed by the Central Government or the State Government or controlled by it, means the Minister-in-Charge of the administrative department of such body or Board or Corporation or authority or company or society or autonomous body;
- (vi) an officer of any body or Board or corporation or authority or company or society or autonomous body (by whatever name called) established or constituted under any Act of Parliament or any Act of a State Legislature or wholly or partly financed by the Central Government or the State Government, or controlled by it, means the head of such body or Board or Corporation or authority or company or society or autonomous body;
- (vii) Vice-chancellor or Pro-vice chancellor of the University established under any Act of the State Legislature, means the Governor of Himachal Pradesh; and
- (viii) in any other case not falling under sub-clauses (i) to (vii) above, means such department or authority as the State Government may, by notification, specify:

Provided that if any person referred to in sub-clause (v) or sub-clause (vi) is also a Member of the Legislative Assembly, then the competent authority shall be the Speaker of the Legislative Assembly;

- (b) “complaint” means a complaint accompanied by an affidavit, made in such form as may be prescribed alleging that a public servant has committed an offence punishable under the Prevention of Corruption Act, 1988 or the Himachal Pradesh Prevention of Specific Corrupt Practices Act, 1983;
- (c) “investigation” means an investigation defined under clause (h) of section 2 of the Code of Criminal Procedure, 1973;
- (d) “Lokayukta” means a person appointed as such under section 4;
- (e) “Minister” means Minister of a State Government (by whatever name called) that is to say, Minister, Minister of State, Deputy Minister and shall also include the Chief Parliamentary Secretary and Parliamentary Secretary but does not include the Chief Minister;
- (f) “notification” means notification published in the Official Gazette and the expression “notify” shall be construed accordingly;
- (g) “preliminary inquiry” means an inquiry conducted under this Act by the Lokayukta;
- (h) “prescribed” means prescribed by rules made under this Act;
- (i) “public servant” means a person referred to in clauses (a) to (h) of sub-section (1) of section (13) of this Act;
- (j) “regulations” means regulations made under this Act;
- (k) “rules” means rules made under this Act; and

- (1) "Special Court" means the court of a Special Judge appointed under sub-section (1) of section 3 of the Prevention of Corruption Act, 1988.

(2) The words and expressions used herein and not defined in this Act but defined in the Prevention of Corruption Act, 1988 or the Himachal Pradesh Prevention of Specific Corrupt Practices Act, 1983 shall have the meanings respectively assigned to them in those Acts.

CHAPTER-II

APPOINTMENT OF LOKAYUKTA

Eligibility
for the
appointment
of
Lokayukta.

3. (1) The Lokayukta shall be a person who is or has been a Judge of the Supreme Court or a Chief Justice of a High Court.

(2) The Lokayukta shall not be-

- (i) a Member of Parliament or a Member of the Legislative Assembly of any State or Union Territory;
- (ii) a person convicted of any offence involving moral turpitude;
- (iii) a person of less than forty-five years of age, on the date of assuming office as the Lokayukta;
- (iv) a member of any Panchayat or Municipality; or
- (v) a person who has been removed or dismissed from service of the State and shall not hold any office of trust or profit other than his office as Lokayukta or be affiliated with any political party or carry on any business or practice any profession and accordingly, before he enters upon his office, a person appointed as the Lokayukta, shall, if-
 - (a) he holds any office of trust or profit, resign from such office; or

- (b) be removed from his office in the manner as provided in this Act.

Salary,
allowances
and other
conditions of
service of
Lokayukta.

7. The salary, allowances and other conditions of service of the Lokayukta shall be the same as those of the Chief Justice of the High Court:

Provided that if Lokayukta is, at the time of his appointment, in receipt of pension (other than disability pension) in respect of any previous service under the Government of India or under the Government of a State, his salary in respect of service as the Lokayukta, be reduced-

- (a) by the amount of that pension; and
- (b) if he has, before such appointment, received, in lieu of a portion of the pension due to him in respect of such previous service, the commuted value thereof, by the amount of that portion of the pension:

Provided further that the salary, allowances and pension payable to and other conditions of service of the Lokayukta shall not be varied to his disadvantage after his appointment.

Restriction on
employment
by Lokayukta
after ceasing
to hold office.

8. On ceasing to hold office, the Lokayukta shall be ineligible

for-

- (i) re-appointment as the Lokayukta;
- (ii) any diplomatic assignment, appointment as administrator of a Union Territory and such other assignment or appointment which is required by law to be made by the President by warrant under his hand and seal;
- (iii) further employment to any other office of profit under the Government of India or the Government of a State; or
- (iv) contesting any election of President or vice-President or Member of either House of Parliament or Member of either House of a State Legislature or Municipality or Panchayat within a period of five years from the date of relinquishing the post.

9. (1) There shall be a Secretary to the Lokayukta in the rank of Secretary to the State Government, who shall be appointed by the Lokayukta from a panel of names sent by the State Government.

Secretary,
other
officers and
staff of
Lokayukta.

(2) There shall be a Director of Inquiry and Director of Prosecution not below the rank of the Additional Secretary to the State Government or equivalent, who shall be appointed by the Lokayukta from a panel of names sent by the State Government.

(3) The appointment of officers and other staff of the Lokayukta shall be made by the Lokayukta or such officer of Lokayukta as the Lokayukta may direct :

Provided that the Governor may by rule require that the appointment in respect of any post or posts as may be specified in the rule, shall be made after consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission.

(4) Subject to the provisions of any law made by the State Legislature, the salary, allowances and other conditions of service of Secretary and other officers and staff of the Lokayukta shall be such as may be prescribed after consultation with the Lokayukta.

CHAPTER-III

INQUIRY WING

10. (1) Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, the Lokayukta shall constitute an Inquiry Wing headed by the Director of Inquiry for the purpose of conducting preliminary inquiry into any offence alleged to have been committed by a public servant punishable under the Prevention of Corruption Act, 1988 or the Himachal Pradesh Prevention of Specific Corrupt Practices Act, 1983:

Inquiry
Wing.

Provided that till such time the Inquiry wing is constituted by the Lokayukta, the State Government shall make available such number of officers and other staff from its Departments, as may be required by the Lokayukta, for conducting preliminary inquiries under this Act.

(2) For the purposes of assisting the Lokayukta in conducting a preliminary inquiry under this Act, the officers of the Inquiry Wing not below

the rank of the Deputy Secretary to the Government, shall have the same powers as are conferred upon the Inquiry Wing of the Lokayukta under section 22.

CHAPTER-IV

PROSECUTION WING

Prosecution
Wing.

11. (1) The Lokayukta shall, by notification, constitute a Prosecution Wing headed by the Director of Prosecution for the purpose of prosecution of public servants in relation to any complaint to the Lokayukta under this Act:

Provided that till such time the Prosecution Wing is constituted by the Lokayukta, the State Government shall make available such number of officers and other staff from its Departments, as may be required by the Lokayukta, for conducting prosecution under this Act.

(2) The Director of Prosecution shall, after having been so directed by the Lokayukta, file a case in accordance with the findings of investigation report, before the Special Court and take all necessary steps in respect of the prosecution of public servants in relation to any offence punishable under the Prevention of Corruption Act, 1988 or the Himachal Pradesh Prevention of Specific Corrupt Practices Act, 1983.

(3) The case under sub-section (2), shall be deemed to be a report, filed on completion of investigation, referred to in section 173 of the Code of Criminal Procedure, 1973.

CHAPTER-V

EXPENSES OF LOKAYUKTA TO BE CHARGED ON CONSOLIDATED FUND OF THE STATE

Expenses of
Lokayukta to
be charged on
Consolidated
Fund of
State.

12. The administrative expenses of the Lokayukta, including all salaries, allowances and pensions payable to or in respect of the Lokayukta or Secretary or other officers or staff of the Lokayukta, shall be charged upon the Consolidated Fund of the State and any fees or other moneys taken by the Lokayukta shall form part of that Fund.

CHAPTER-VI
JURISDICTION IN RESPECT OF INQUIRY

13. (1) Subject to the other provisions of this Act, the Lokayukta shall inquire or cause an inquiry to be conducted into any matter involved in, or arising from, or connected with, any allegation of corruption made in a complaint in respect of the following, namely:-

Jurisdiction
of Lokayukta
in respect of
Inquiry.

- (a) any person who is or has been a Chief Minister;
- (b) any person who is or has been a Minister;
- (c) any person who is or has been a Member of the Himachal Pradesh Legislative Assembly;
- (d) all officers and officials of the State Government, from amongst the public servants defined in sub-clauses (i) and (ii) of clause (c) of section 2 of the Prevention of Corruption Act, 1988 or the Himachal Pradesh Prevention of Specific Corrupt Practices Act, 1983, when serving or who has served in connection with the affairs of the State;
- (e) all officers and officials referred to in clause (d) or equivalent in any body or Board or corporation or authority or company or society trust or autonomous body (by whatever name called) established by any Act of Parliament or a State Legislature or wholly or partly financed by the State Government or controlled by it;
- (f) any person who is or has been a Chairperson or member or officer or employee in any body or Board or corporation or authority or company or society or trust or autonomous body (by whatever name called) established by an Act of a State Legislature or wholly or partly financed by the State Government or controlled by it:

Provided that in respect of such officers referred to in clause (e) who have served in connection with the affairs of

the Union or any body or Board or corporation or authority or company or society or trust or autonomous body referred to in clause (d) but are working in connection with the affairs of the State or in any body or Board or corporation or authority or company or society or trust or autonomous body (by whatever name called) established by an Act of the Parliament or wholly or partly financed by the Central Government or controlled by it, the Lokayukta and the officers of the Inquiry Wing or Prosecution Wing shall have jurisdiction under this Act in respect of such officers only after obtaining the consent of the Central Government;

- (g) any person who is or has been a director, manager, secretary or other officer of every other society or association of persons or trust (whether registered under any law for time being in force or not), by whatever name called, wholly or partly financed by the Government and the annual income of which exceeds such amount as the State Government may by notification, specify; and
- (h) any person who is or has been a director, manager, secretary or other officer of every other society or association of persons or trust (whether registered under any law for the time being in force or not), if in receipt of any donation from any foreign source under the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 in excess of ten lakh rupees in a year or such higher amount as the Central Government may, by notification, specify.

Explanation.—For the purpose of clauses (g) and (h), it is hereby clarified that any entity or institution, by whatever name called, corporate, society, trust, association of persons, partnership, sole proprietorship, limited liability partnership (whether registered under any law for the time being in force or not), shall be the entities covered in those clauses:

Provided that any person referred to in this clause shall be deemed to be a public servant under clause (c) of section 2 of the Prevention of

Corruption Act, 1988 and the provisions of that Act and the Himachal Pradesh Prevention of Specific Corrupt Practices Act, 1983 shall apply accordingly.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), the Lokayukta shall not inquire into any matter involved in, or arising from, or connected with, any such allegation of corruption against any Member of the Legislative Assembly in respect of anything said or a vote given by him in the State Legislature or any committee thereof covered under the provisions contained in clause (2) of article 194 of the Constitution.

(3) The Lokayukta may inquire into any act or conduct of any person other than those referred to in sub-section (1), if such person is involved in the act of abetting, bribe giving or bribe taking or conspiracy relating to any allegation of corruption under the Prevention of Corruption Act, 1988 or the Himachal Pradesh Prevention of Specific Corrupt Practices Act, 1983 against a person referred to in sub-section (1) :

Provided that no action under this section shall be taken in case of a person serving in connection with the affairs of the Union, without the consent of the Central Government.

(4) No matter in respect of which a complaint has been made to the Lokayukta under this Act, shall be referred for inquiry under the Commission of Inquiry Act, 1952.

Explanation.—For the removal of doubts, it is hereby declared that a complaint under this Act shall only relate to a period during which the public servant was holding or serving in that capacity.

14. In case any matter or proceeding related to allegation of corruption under the Prevention of Corruption Act, 1988 or the Himachal Pradesh Prevention of Specific Corrupt Practices Act, 1983 has been pending before any court or committee of the State Legislative Assembly or before any other authority prior to commencement of this Act or prior to commencement of any inquiry after the commencement of this Act, such matter or proceeding shall be continued before such court, committee or authority.

Matters pending before any court or committee or authority for inquiry not to be affected.

CHAPTER-VII

PROCEDURE IN RESPECT OF PRELIMINARY
INQUIRY AND INVESTIGATION

Provisions
relating to
complaints
and
preliminary
inquiry and
investigation.

15. (1) The Lokayukta on receipt of a complaint, if it decides to proceed further, may order-

- (a) preliminary inquiry against any public servant by its Inquiry Wing or any agency to ascertain whether there exists a *prima facie* case for proceeding in the matter; or
- (b) investigation by any agency, when there exists a *prima facie* case :

Provided that the Lokayukta shall if it has decided to proceed with the preliminary inquiry, by a general or special order, refer the complaints or a category of complaints or a complaint received by it in respect of public servants to the Inquiry Wing, constituted under this Act:

Provided further that the Inquiry Wing in respect of complaint(s) referred to it under the first proviso, after making preliminary inquiry in respect of public servants, shall submit its report to the Lokayukta in accordance with the provisions contained in sub-sections (2) and (4) and shall proceed in accordance with the provisions of this Act:

Provided further that before ordering an investigation under clause (b), the Lokayukta shall call for the explanation of the public servant so as to determine whether there exists a *prima facie* case for investigation:

Provided further that the seeking of explanation from the public servant before an investigation shall not interfere with the search and seizure, if any, required to be undertaken by the Inquiry Wing under this Act.

(2) During the preliminary inquiry referred to in sub-section (1), the Inquiry Wing shall conduct a preliminary inquiry and on the basis of material,

information and documents collected, seek the comments on the allegations made in the complaint from the public servant and the competent authority and after obtaining the comments of the concerned public servant and the competent authority, submit within sixty days from the date of receipt of the reference, a report to the Lokayukta.

(3) The Lokayukta shall consider every report received under sub-section (2) from the Inquiry Wing or any agency, and after giving an opportunity of being heard to the public servant, decide whether there exists a *prima facie* case and proceed with one or more of the following actions, namely:-

- (a) investigation by any agency,
- (b) initiation of the departmental proceedings or any other appropriate action against the concerned public servant by the competent authority; or
- (c) closure of the proceedings against the public servant and to proceed against the complainant under section 41.

(4) Every preliminary inquiry referred to in sub-section (1) shall ordinarily be completed within a period of ninety days and for reasons to be recorded in writing, within a further period of ninety days from the date of receipt of the complaint.

(5) In case the Lokayukta decides to proceed to investigate into the complaint, it shall direct any agency to carry out the investigation as expeditiously as possible and complete the investigation within a period of six months from the date of its order :

Provided that the Lokayukta may extend the said period by a further period not exceeding six months at a time for the reasons to be recorded in writing.

(6) The Lokayukta shall consider every report received by it from any agency and after obtaining the comments of the competent authority and the public servant-

- (a) may grant sanction to its Prosecution Wing or investigating agency to file charge-sheet or direct the closure of report before the Special Court against the public servant; or

- (b) may direct the competent authority to initiate the departmental proceedings or any other appropriate action against the concerned public servant.

(7) The Lokayukta may, after taking a decision under sub-section (6) on the filing of the charge-sheet direct its Prosecution Wing or any investigating agency to initiate prosecution in the Special Court in respect of the cases investigated by the agency.

(8) The Lokayukta may, during the preliminary inquiry or the investigation, as the case may be, pass appropriate orders for the safe custody of the documents relevant to the preliminary inquiry or, as the case may be, investigation as it deems fit.

(9) The website of the Lokayukta shall, from time to time and in such manner as may be specified by regulations, display to the public, the status and number of complaints pending before it or disposed of by it.

(10) The Lokayukta may retain the original records and evidences which are likely to be required in the process of preliminary inquiry or investigation or conduct of a case by it or by the Special Court.

(11) Save as otherwise provided, the manner and procedure of conducting a preliminary inquiry or investigation (including such material and documents to be made available to the public servant) under this Act, shall be such as may be specified by regulations.

Persons likely to be prejudicially affected to be heard.

16. If, at any stage of the proceeding, the Lokayukta-

- (a) considers it necessary to inquire into the conduct of any person other than the accused; or
- (b) is of opinion that the reputation of any person other than an accused is likely to be prejudicially affected by the preliminary inquiry, the Lokayukta shall give to that person a reasonable opportunity of being heard in the preliminary inquiry and to produce evidence in his defence, consistent with the principles of natural justice.

17. Subject to the provisions of this Act, for the purpose of any preliminary inquiry or investigation, the Lokayukta or the investigating agency, as the case may be, may require any public servant or any other person who, in its opinion, is able to furnish information or produce documents relevant to such preliminary inquiry or investigation, to furnish any such information or produce any such document.

Lokayukta may require any public servant or any other person to furnish information.

18. (1) Without prejudice to the generality of the provisions contained in section 197 of the Code of Criminal Procedure, 1973 or section 19 of the Prevention of Corruption Act, 1988, the Lokayukta shall have the power to grant sanction for prosecution under clause (a) of sub-section (6) of section 15.

Power of Lokayukta to grant sanction for initiating prosecution.

(2) No prosecution under sub-section (1) shall be initiated against any public servant accused of any offence alleged to have been committed by him while acting or purporting to act in the discharge of his official duty, and no court shall take cognizance of such offence except with the previous sanction of the Lokayukta.

(3) Nothing contained in sub-sections (1) and (2) shall apply in respect of the persons holding office in pursuance of the provisions of the Constitution and in respect of which a procedure for removal of such person has been specified therein.

(4) The provisions contained in sub-sections (1), (2) and (3) shall be without prejudice to the generality of the provisions contained in article 311 and sub-clause (c) of clause (3) of article 320 of the Constitution.

19. Where, after the conclusion of the investigation, the findings of the Lokayukta disclose the commission of an offence under the Prevention of Corruption Act, 1988 or the Himachal Pradesh Prevention of Specific Corrupt Practices Act, 1983 by a public servant referred to in clause (a) or clause (b) or clause (c) of sub-section (1) of section 13, the Lokayukta may file a case in the Special Court and shall send a copy of the report together with its findings to the competent authority.

Action on investigation against public servant being Chief Minister, Ministers or Members of Legislative Assembly.

CHAPTER-VIII**POWERS OF LOKAYUKTA**

Supervisory
powers of
Lokayukta.

20. (1) The Lokayukta shall have the powers of superintendence over and to give direction in respect of the matters referred by the Lokayukta for preliminary inquiry or investigation under this Act:

Provided that while exercising powers of superintendence or giving direction under this sub-section, the Lokayukta shall not exercise powers in such a manner so as to require any agency to whom the investigation has been given, to investigate and dispose of any case in a particular manner.

(2) The Inquiry Wing shall send a statement at such interval as the Lokayukta may direct, to the Lokayukta in respect of action taken on complaints referred to it under the second proviso to sub-section (1) of section 15 and on receipt of such statement, the Lokayukta may issue guidelines for effective and expeditious disposal of such cases.

(3) Any officer of Inquiry and Investigating Wing, investigating a case referred to it by the Lokayukta, shall not be transferred without the approval of the Lokayukta.

(4) The Prosecuting Wing may, with the consent of the Lokayukta, appoint a panel of Advocates, other than the Government Advocates, for conducting the cases referred to it by the Lokayukta.

(5) The State Government may from time to time make available such funds as may be required by the Lokayukta for conducting effective inquiries or investigations into complaints or cases.

Search and
seizure.

21. (1) If the Lokayukta has reason to believe that any document which, in its opinion, shall be useful for, or relevant, to any investigation under this Act, are secreted in any place, it may authorize any agency to whom the investigation has been given to search for and to seize such documents.

(2) If the Lokayukta is satisfied that any document seized under sub-section (1) may be used as evidence for the purpose of any investigation

under this Act and that it shall be necessary to retain the document in its custody or in the custody of such officer as may be authorized, it may so retain or direct such authorized officer to retain such document till the completion of such investigation :

Provided that where any document is required to be returned, the Lokayukta or the authorized officer may return the same after retaining copies of such documents duly authenticated.

22. (1) Subject to the provisions of this section, for the purpose of any preliminary inquiry, the Inquiry Wing of the Lokayukta shall have all the powers of a civil court, under the Code of Civil Procedure, 1908, while trying a suit in respect of the following matters, namely :-

Lokayukta to have powers of civil court in certain cases.

- (i) summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath;
- (ii) requiring the discovery and production of any document;
- (iii) receiving evidence on affidavits;
- (iv) requisitioning any public record or copy thereof from any court or office;
- (v) issuing commissions for the examination of witnesses or documents:

Provided that such commission, in case of a witness, shall be issued only where the witness, in the opinion of the Lokayukta, is not in a position to attend the proceeding before the Lokayukta; and

- (vi) such other matters as may be prescribed.

(2) Any proceeding before the Lokayukta shall be deemed to be a judicial proceeding within the meaning of section 193 of the Indian Penal Code.

Power of Lokayukta to utilize services of officers of the State Government.

23. (1) The Lokayukta may, for the purpose of conducting any preliminary inquiry or investigation, utilize the services of any officer or organization or investigating agency of the State Government.

(2) For the purpose of preliminary inquiry or investigating into any matter pertaining to such inquiry or investigation, any officer or organization or agency whose services are utilized under sub-section (1) may, subject to the superintendence and direction of the Lokayukta-

- (a) summon and enforce the attendance of any person and examine him;
- (b) require the discovery and production of any document; and
- (c) requisition any public record or copy thereof from any office.

(3) The officer or organization or agency whose services are utilized under sub-section (2) shall inquire or, as the case may be, investigate into any matter pertaining to the preliminary inquiry or investigation and submit a report thereon to the Lokayukta within such period as may be specified by it in this behalf.

Provisional attachment of assets.

24. (1) Where the Lokayukta or any officer authorized by it in this behalf, has reason to believe, the reason for such belief has to be recorded in writing, on the basis of material in his possession, that-

- (a) any person is in possession of any proceeds of corruption;
- (b) such person is accused of having committed an offence relating to corruption; and
- (c) such proceeds of corruption are likely to be concealed, transferred or dealt with in any manner which may result in frustrating any proceedings relating to confiscation of such proceeds of corruption, the Lokayukta or the authorized officer may, by order in writing, provisionally attach such property for a period not exceeding ninety days from the date of the order, in the manner provided in the Second

Schedule to the Income tax Act, 1961 and the Lokayukta and the officer shall be deemed to be an officer under sub-rule (c) of rule 1 of that Schedule.

(2) The Lokayukta or the officer authorized in this behalf shall, immediately after attachment under sub-section (1), forward a copy of the order, along with the material in his possession, referred to in that sub-section, to the Special Court in a sealed envelope, in the manner as may be prescribed and such Court may extend the order of attachment and keep such material for such period as the Court may deem fit.

(3) Every order of attachment made under sub-section (1) shall cease to have effect after the expiry of the period specified in that sub-section or after the expiry of the period as directed by the Special Court under sub-section (2).

(4) Nothing in this section shall prevent the person interested in the enjoyment of the immovable property attached under sub-section (1) or sub-section (2), from such enjoyment .

Explanation.—For the purposes of this sub-section, “person interested”, in relation to any immovable property, includes all persons claiming or entitled to claim any interest in the property.

25. (1) The Lokayukta, when it provisionally attaches any property under sub-section (1) of section 24 shall, within a period of thirty days of such attachment, direct its Prosecution Wing to file an application stating the facts of such attachment before the Special Court and make a prayer for confirmation of attachment of the property till completion of the proceedings against the public servant in the Special Court. ^{Confirmation of attachment of assets}

(2) The Special Court may, if it is of the opinion that the property provisionally attached had been acquired through corrupt means, make an order for confirmation of attachment of such property till the completion of the proceedings against the public servant in the Special Court.

(3) If the public servant is subsequently acquitted of the charges framed against him, the property, subject to the orders of the Special Court, shall be

restored to the concerned public servant along with benefits from such property as might have accrued during the period of attachment.

(4) If the public servant is subsequently convicted of the charges of corruption, the proceeds relatable to the offence under the Prevention of Corruption Act, 1988 or the Himachal Pradesh Prevention of Specific Corrupt Practices Act, 1983 shall be confiscated and vest in the State Government free from any encumbrance or leasehold interest, excluding any debt due to any bank or financial institution.

Explanation.—For the purposes of this sub-section, the expressions “bank”, “debt” and “financial institution” shall have the meanings respectively assigned to them in clauses (d), (g) and (h) of section 2 of the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993.

Confiscation of assets, proceeds, receipts and benefits arisen or procured by means of corruption in special circumstances.

26. (1) Without prejudice to the provisions of sections 24 and 25, where the Special Court, on the basis of *prima facie* evidence, has reason to believe or is satisfied that the assets, proceeds, receipts and benefits (by whatever name called) have arisen or procured by means of corruption by the public servant, it may authorize the confiscation of such assets, proceeds, receipts and benefits till his acquittal.

(2) Where an order of confiscation made under sub-section (1) is modified or annulled by the High Court or where the public servant is acquitted by the Special Court, the assets, proceeds, receipts and benefits, confiscated under sub-section (1) shall be returned to such public servant, and in case it is not possible for any reason to return the assets, proceeds, receipts and benefits, such public servant shall be paid the price thereof including the money so confiscated with interest at the rate of five per cent per annum thereon calculated from the date of confiscation.

Power of Lokayukta to recommend transfer or suspension of public servant connected with allegation of corruption.

27. (1) Where the Lokayukta while making a preliminary inquiry into allegations of corruption, is *prima facie* satisfied, on the basis of evidence available,-

- (i) that the continuance of the public servant referred to in clause (d) or clause (e) or clause (f) of sub-section (1) of section 13 in his post while conducting the preliminary inquiry is likely to affect such preliminary inquiry adversely; or

- (ii) such public servant is likely to destroy or in any way temper with the evidence or influence witnesses, then the Lokayukta may recommend to the State Government for transfer or suspension of such public servant from the post held by him till such period as may be specified in the order.

(2) The State Government shall ordinarily accept the recommendation of the Lokayukta made under sub-section (1) except for the reasons to be recorded in writing in a case where it is not feasible to do so for administrative reasons.

28. The Lokayukta may, in the discharge of its functions under this Act, issue appropriate directions to a public servant entrusted with the preparation or custody of any document or record-

Power of Lokayukta to give directions to prevent destruction of records during preliminary inquiry.

- (a) to protect such document or record from destruction or damage; or
- (b) to prevent the public servant from altering or secreting such document or record; or
- (c) to prevent the public servant from transferring or alienating any assets allegedly acquired by him through corrupt means.

29. The Lokayukta may, by general or special order in writing, and subject to such conditions as may be specified therein, direct that any administrative or financial power conferred on it may also be exercised or discharged by such of its officers or employees as may be specified in the order.

Power to delegate.

CHAPTER-IX

SPECIAL COURTS

30. (1) The State Government shall constitute such number of Special Courts, as recommended by the Lokayukta to hear and decide the cases arising out of the Prevention of Corruption Act, 1988, the Himachal Pradesh Prevention of Specific Corrupt Practices Act, 1983 or under this Act.

Special Courts to be constituted by State Government.

(2) The Special Courts constituted under sub-section (1) shall ensure completion of each trial within a period of one year from the date of filing of the case in the Court :

Provided that in case the trial cannot be completed within a period of one year, the Special Court shall record reasons therefore and complete the trial within further period of not more than three months or such further period not exceeding three months each, for reasons to be recorded in writing before the end of each such three months period, but not exceeding a total period of two years.

Letter of
request to a
contracting
State in
certain cases.

31. (1) Notwithstanding anything contained in this Act or the Code of Criminal Procedure, 1973 if, in the course of a preliminary inquiry into an offence or other proceeding under this Act, an application is made to a Special Court by an officer of the Lokayukta authorized in this behalf that any evidence is required in connection with the preliminary inquiry or investigation into an offence or proceeding under this Act and he is of the opinion that such evidence may be available in any place in a contracting State, and the Special Court on being satisfied that such evidence is required in connection with the preliminary inquiry or investigation into an offence or proceeding under this Act, may issue a letter of request to a court or an authority in the contracting State competent to deal with such request to-

- (i) examine the facts and circumstances of the case;
- (ii) take such steps as the Special Court may specify in such letter of request; and
- (iii) forward all the evidence so taken or collected to the Special Court issuing such letter of request.

(2) The letter of request shall be transmitted in such manner as the State Government may prescribe in this behalf.

(3) Every statement recorded or document or thing received under sub-section (1) shall be deemed to be evidence collected during the course of the preliminary inquiry or investigation.

CHAPTER-X

COMPLAINTS AGAINST LOKAYUKTA AND OFFICIALS
OF LOKAYUKTA

32. (1) The Lokayukta shall not inquire into any complaint made against him.

Removal
and
suspension
of
Lokayukta.

(2) Subject to the provisions of sub-section (4), the Lokayukta shall be removed from his office by order of the Governor on grounds of proved misbehaviour or incapacity after the High Court, on a reference being made to it by the Governor on a petition signed by at least twenty five Members of State Legislative Assembly has, on an inquiry held in accordance with the procedure prescribed in that behalf, reported that the Lokayukta, ought to be removed on such ground.

(3) The Governor may suspend from office the Lokayukta in respect of whom a reference has been made by the High Court under sub-section (2), on receipt of recommendations or interim order made by the High Court in this regard until the Governor has passed orders on receipt of the final report of the High Court on such reference.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-section (2), the Governor, may, by order, remove from the office, the Lokayukta, if he-

- (a) is adjudged an insolvent, or
- (b) engages, during his term of office in any paid employment outside the duties of his office; or
- (c) is in the opinion of the Governor, unfit to continue in office by reason of infirmity of mind or body.

(5) If the Lokayukta is, or becomes, in any way concerned or interested in any contract or agreement made by or on behalf of the State Government or participates in any way in the profit thereof or in any benefit or emolument arising therefrom otherwise, than as a member and in common with the other members of an incorporated company, he shall, for purpose of sub-section (2) be deemed to be guilty of misbehaviour.

Complaints
against
officials of
Lokayukta.

33. (1) Every complaint of allegation or wrong-doing made against any officer or employee or agency under or associated with the Lokayukta for an offence punishable under the Prevention of Corruption Act, 1988 or the Himachal Pradesh Prevention of Specific Corrupt Practices Act, 1983 shall be dealt with in accordance with the provisions of this section.

(2) The Lokayukta shall complete the inquiry into the complaint or allegation made within a period of thirty days from date of its receipt.

(3) While making an inquiry into the complaint against any officer or employee of the Lokayukta or agency engaged or associated with the Lokayukta, if he is *prima facie* satisfied on the basis of evidence available, that-

- (a) continuance of such officer or employee of the Lokayukta or agency engaged or associated in his post while conducting the inquiry is likely to affect such inquiry adversely; or
- (b) an officer or employee of the Lokayukta or agency engaged or associated is likely to destroy or in any way tamper with the evidence or influence witnesses, then the Lokayukta may, by order, suspend such officer or employee of the Lokayukta or divest such agency engaged or associated with the Lokayukta of all powers and responsibilities hereto before exercised by it.

(4) On completion of the inquiry, if the Lokayukta is satisfied that there is *prima facie* evidence of the commission of an offence under the Prevention of Corruption Act, 1988 or the Himachal Pradesh Prevention of Specific Corrupt Practices Act, 1983 or of any wrong-doing, he shall, within a period of fifteen days of the completion of such inquiry, order to prosecute such officer or employee of the Lokayukta or such officer, employee, agency engaged or associated with the Lokayukta and initiate disciplinary proceedings against the official concerned :

Provided that no such order shall be passed without giving such officer or employee of the Lokayukta or such officer, employee, agency engaged or associated, a reasonable opportunity of being heard.

CHAPTER-XI

ASSESSMENT OF LOSS AND RECOVERY THEREOF BY SPECIAL COURT

34. If any public servant is convicted of an offence under the Prevention of Corruption Act, 1988 or the Himachal Pradesh Prevention of Specific Corrupt Practices Act, 1983 by the Special Court, notwithstanding and without prejudice to any law for time being in force, it may make an assessment of loss, if any, caused to the public exchequer on account of the actions or decisions of such public servant not taken in good faith and for which he stands convicted and may order recovery of such loss, if possible or quantifiable, from such public servant so convicted:

Assessment of loss and recovery thereof by Special Court.

Provided that if the Special Court, for reasons to be recorded in writing, comes to the conclusion that the loss caused was pursuant to a conspiracy with the beneficiary or beneficiaries of actions or decisions of the public servant so convicted, then such loss may, if assessed and quantifiable under this section, also be recovered from such beneficiary or beneficiaries proportionately.

CHAPTER-XII

FINANCE, ACCOUNTS AND AUDIT

35. The Lokayukta shall prepare, in such form and at such time in each financial year, as may be prescribed, its budget for the next financial year, showing the estimated receipts and expenditure of the Lokayukta and forward the same to the State Government for information.

Budget.

36. The State Government may, after due appropriation made by the Legislative Assembly by law in this behalf, make to the Lokayukta grants of such sums of money as required to be paid for the salaries and allowances payable to, the Lokayukta and the administrative expenses including the salaries and allowances and pension payable to, or in respect of officers and other employees of the Lokayukta.

Grants by the State Government.

37. (1) The Lokayukta shall maintain proper accounts and other relevant records and prepare an annual statement of accounts in such form as may be prescribed by the State Government in consultation with the Accountant General, Himachal Pradesh.

Annual statement of accounts.

(2) The accounts of the Lokayukta shall be audited by the Comptroller and Auditor General of India, annually.

(3) The Comptroller and Auditor General of India or any person appointed by him in connection with the audit of the accounts of the Lokayukta under this Act shall have the same rights, privileges and authority in connection with such audit, as the Comptroller and Auditor General of India generally has, in connection with the audit of the Government accounts and, in particular, shall have the right to demand the production of books, accounts, connected vouchers and other documents and papers and to inspect the office of the Lokayukta.

(4) The accounts of the Lokayukta, as certified by the Comptroller and Auditor General of India or any other person appointed by him in this behalf, together with the audit report thereon, shall be forwarded annually to the State Government and the State Government shall cause the same to be laid before the Legislative Assembly.

Furnishing
of returns
etc. to
State
Government.

38. The Lokayukta shall furnish to the State Government, at such time and in such form and manner as may be prescribed or as the State Government may request, such returns and statements and such particulars in regard to any matter under the jurisdiction of the Lokayukta, as the State Government may, from time to time require.

CHAPTER-XIII

DECLARATION OF ASSETS

Declaration
of assets.

39. (1) Every public servant shall make a declaration of his assets and liabilities in the manner as provided by or under this Act.

(2) A public servant shall, within a period of thirty days from the date on which he makes and subscribes an oath of affirmation to enter upon his office, furnish to the competent authority the information relating to-

(a) the assets of which he, his spouse and his dependent children are, jointly or severally, owners or beneficiaries; and

(b) his liabilities and that of his spouse and his dependent children.

(3) A public servant holding his office as such, at the time of the commencement of this Act, shall furnish information relating to such assets and liabilities, as referred to in sub-section (2), to the competent authority within thirty days of the coming into force of this Act.

(4) Every public servant shall file with the competent authority, on or before the 31st July of every year, an annual return of such assets and liabilities, as referred to in sub-section (2), as on the 31st March of that year.

(5) The information under sub-section (2) or sub-section (3) and annual return under sub-section (4) shall be furnished to the competent authority in such form and in such manner as may be prescribed.

(6) The competent authority in respect of each Department shall ensure that all such statements are published on the website of such Department by 31st August of that year.

Explanation.—For the purposes of this section, “dependent children” means sons and daughters who have no separate means of earning and are wholly dependent on the public servant for their livelihood.

40. If any public servant wilfully or for reasons which are not justifiable—

- (a) fails to declare his assets; or
- (b) gives misleading information in respect of such assets and is found to be in possession of assets not disclosed or in respect of which misleading information was furnished, then such assets shall, unless otherwise proved, be presumed to belong to the public servant and shall be presumed to be assets acquired by corrupt means:

Presumption as to acquisition of assets by corrupt means in certain cases.

Provided that the competent authority may condone or exempt the public servant from furnishing information in respect of assets not exceeding such minimum value as may be prescribed.

CHAPTER-XIV

OFFENCES AND PENALTIES

Prosecution
for false
complaint
and payment
of
compensation,
etc. to public
servant.

41. (1) Notwithstanding anything contained in this Act, whoever makes any false and frivolous or vexatious complaint under this Act shall, on conviction, be punished with imprisonment for a term which may extend to one year and with fine which may extend to one lakh rupees.

(2) No Court, except a Special Court, shall take cognizance of an offence under sub-section (1).

(3) No Special Court shall take cognizance of an offence under sub-section (1), except on a complaint made by a person against whom the false, frivolous or vexatious complaint was made or by an officer authorized by the Lokayukta.

(4) The prosecution in relation to an offence under sub-section (1) shall be conducted by the public prosecutor and all expenses connected with such prosecution shall be borne by the State Government.

(5) In case of conviction of a person being an individual or society or association of persons or trust (whether registered or not), for having made a false complaint under this Act, such person shall be liable to pay compensation to the public servant against whom he made the false complaint in addition to the legal expenses for contesting the case by such public servant, as the Special Court may determine.

(6) Nothing contained in this section shall apply in case of complaints made in good faith.

Explanation.—For the purpose of this sub-section, the expression “good faith” means any act believed or done by a person in good faith with due care, caution and sense of responsibility or by mistake of fact believing himself justified by law under section 79 of the Indian Penal Code.

False
complaint
made by
society or
association
of persons or
trust.

42. (1) Where any offence under sub-section (1) of section 41 has been committed by any society or association of persons or trust (whether registered or not), every person who, at the time the offence was committed, was directly in charge of, and was responsible to the society or association of persons or trust, for the conduct of the business or affairs or activities of

the society or association of persons or trust as well as such society or association of persons or trust shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly:

Provided that nothing contained in this sub-section shall render any such person liable to any punishment provided in this Act, if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he had exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where an offence under this Act has been committed by a society or association of persons or trust (whether registered or not) and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of, or is attributable to any neglect on the part of any director, manager, secretary or other officer of such society or association of persons or trust, such director, manager, secretary or other officer shall also be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

CHAPTER-XV

MISCELLANEOUS

43. It shall be the duty of the Lokayukta to present annually to the Governor a report on the work done by the Lokayukta and on receipt of such report the Governor shall cause a copy thereof together a memorandum, explaining in respect of the cases, if any, where the advice of the Lokayukta was not accepted, the reason for such non-acceptance to be laid before the Legislative Assembly.

Reports of
Lokayukta.

44. The Lokayukta shall function as the final appellate authority in respect of appeals arising out of any other law for the time being in force providing for delivery of public services and redressal of public grievances by any public authority in cases where the decision contains findings of corruption under the Prevention of Corruption Act, 1988 or the Himachal Pradesh Prevention of Specific Corrupt Practices Act, 1983.

Lokayukta
to function
as appellate
authority
for appeals
arising out
of any
other law
for the time
being in
force.

Protection of action taken in good faith by any public servant.

45. No suit, prosecution or other legal proceedings under this Act shall lie against any public servant in respect of anything which is done in good faith or intended to be done in the discharge of his official functions or in exercise of his powers.

Protection of action taken in good faith by others.

46. No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against the Lokayukta or against any officer, employee, agency or any person, in respect of anything which is done in good faith or intended to be done under this Act or the rules or the regulations made thereunder.

Lokayukta, Officers and employees of Lokayukta to be public servants.

47. The Lokayukta, officers and other employees of the Lokayukta shall be deemed, when acting or purporting to act in pursuance of any of the provisions of this Act, to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code.

Limitation to apply in certain cases.

48. The Lokayukta shall not inquire or investigate into any complaint, if the complaint is made after the expiry of a period of five years from the date on which the offence mentioned in such complaint is alleged to have been committed.

Bar of jurisdiction.

49. No civil court shall have jurisdiction in respect of any matter which the Lokayukta is empowered by or under this Act to determine.

Legal assistance.

50. The Lokayukta shall provide to every person against whom a complaint has been made, before it, under this Act, legal assistance to defend his case before the Lokayukta, if such assistance is requested for.

Act to have overriding effect.

51. The provisions of this Act shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any enactment other than this Act or in any instrument having effect by virtue of any enactment other than this Act.

Provisions of this Act to be in addition of other laws.

52. The provisions of this Act shall be in addition to and not in derogation of any other law for time being in force.

53. The Lokayukta shall have and exercise the same jurisdiction powers and authority in respect of contempt of itself as a High Court has and may exercise and, for this purpose, the provisions of the Contempt of Courts Act, 1971 shall have effect subject to the modification that-

Power to
punish for
contempt.

- (a) the references therein to a High Court shall be construed as including a reference to the Lokayukta;
- (b) sub-section (1) of section 18 shall not apply to the Lokayukta; and
- (c) in “proviso to sub-section (1) of section 19 reference to Judicial Commissioner in any Union Territory” shall be construed as including a reference to the Lokayukta.

54. (1) The State Government may, by notification in the Official Gazette, make rules to carry out the provisions of this Act.

Power to
make rules.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely:-

- (a) the form of complaint referred to in clause (b) of sub-section (1) of section 2;
- (b) the post or posts in respect of which the appointment shall be made after consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission under the proviso to sub-section (3) of section 9 of the Act;
- (c) the salaries, allowances and other conditions of service of Secretary and other officers and staff in consultation with the Lokayukta under sub-section (4) of section 9;
- (d) other matters for which the Lokayukta shall have the powers of a civil court under clause (vi) of sub-section (1) of section 22;
- (e) the manner of sending the order of attachment alongwith the material to the Special Court under sub-section (2) of section 24;

- (f) the manner of transmitting the letter of request under sub-section (2) of section 31;
- (g) the form and the time for preparing in each financial year the budget for the next financial year, showing the estimated receipts and expenditure of the Lokayukta under section 35;
- (h) the form for maintaining the account and other relevant records and the form of annual statement of account under sub-section (1) of section 37;
- (i) the form and manner and the time for preparing the returns including annual return and Statements alongwith particulars and giving a summary of its activities during the previous year under section 38.
- (j) the form of annual return to be filed by a public servant under sub-section (5) of section 39;
- (k) the minimum value for which the competent authority may condone or exempt a public servant from furnishing information in respect of assets under the proviso to section 40; and
- (l) any other matter which is to be or may be prescribed.

Power of
Lokayukta
to make
regulations.

55. (1) Subject to the provisions of this Act and the rules made thereunder, the Lokayukta may, by notification in the Official Gazette, make regulations to carry out the provisions of this Act.

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such regulations may provide for all or any of the following matters, namely:-

- (a) the manner for displaying on the website of the Lokayukta, the status of all complaints pending or disposed of alongwith records and evidence with reference thereto under sub-section (9) of section 15;

- (b) the manner and procedure of conducting preliminary inquiry or investigation under sub-section (11) of section 15; and
- (c) any other matter which is required to be or may be, specified under this Act.

56. Every rule and regulation made under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before the Legislative Assembly, while it is in session, for a total period of fifteen days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions aforesaid, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid and if the Assembly agrees in making any modification in the rule or regulation, or if Assembly agrees that the rule or regulation should not be made, the rule or regulation shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so, however, that any such modification or amendment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule or regulation. Laying of rules and regulations.

57. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by order, published in the Official Gazette, make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act, as appear to be necessary for removing the difficulty: Power to remove difficulties.

Provided that no such order shall be made under this section after the expiry of a period of two years from the commencement of this Act.

(2) Every order made under this section shall be laid, as soon as may be after it is made, before the State Legislative Assembly.

58. On and from the date of commencement of this Act, the Himachal Pradesh Lokayukta Act, 1983 (Act No. 17 of 1983) shall stand repealed (hereinafter in this section referred to as the 'repealed Act'): Repeal and savings.


Provided that the repeal shall not affect-

- (a) the appointment of Lokayukta under the repealed Act and his term of office and other conditions of service and who shall hold office as such for the remaining period of his term; or


- (b) the appointment of officers and other staff of the Lokayukta and their service conditions and they shall continue to be the officers and officials of the Lokayukta to the extent their services are considered necessary by the Lokayukta; or
- (c) any right, privilege, obligation or liability acquired, accrued or incurred under the repealed Act; or
- (d) any penalty, forfeiture or punishment incurred in respect of any offence committed against the repealed Act; or
- (e) any inquiry, investigation, legal proceedings or remedy in respect of any such right, privilege, obligation, liability, penalty, forfeiture or punishment as aforesaid; and any such inquiry, investigation, legal proceedings or remedy may be instituted, continued or enforced and any such penalty, forfeiture or punishment may be imposed as if this Act has not been enforced:

Provided further that subject to preceding proviso anything done or any action taken (including any appointment or delegation made, notification, order, notice or directions issued, rules or regulations made) under the repealed Act shall, in so far as it is in force immediately before coming into force of this Act is not inconsistent with the provisions of this Act be deemed to have been done, made or taken under corresponding provisions of this Act and shall continue to be in force accordingly, unless and until superseded by any thing done or any action taken under this Act.

मैं, हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त विधेयक, 2014 (2014 का विधेयक संख्यांक 15) के उपर्युक्त अनुवाद को भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने के लिए प्राधिकृत करता हूँ।


राज्यपाल,
हिमाचल प्रदेश।
हिमाचल प्रदेश

राज्यपाल ने हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त विधेयक, 2014 (2014 का विधेयक संख्यांक 15) के उपर्युक्त अनुवाद को भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने के लिए प्राधिकृत कर दिया है।


प्रधान सचिव (विधि),
हिमाचल प्रदेश सरकार।

मैं हिमाचल प्रदेश नगरीय किराया नियन्त्रण (संशोधन) अध्यादेश, 2022 के उपर्युक्त अंग्रेजी अनुवाद को भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने के लिए प्राधिकृत करता हूँ।

(राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर),
राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश।

माननीय राज्यपाल ने हिमाचल प्रदेश नगरीय किराया नियन्त्रण (संशोधन) अध्यादेश, 2022 के उपर्युक्त अंग्रेजी अनुवाद को भारत के संविधान के अनुच्छेद 348(3) के अधीन राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने के लिए प्राधिकृत कर दिया है।

(राजीव भारद्वाज),
प्रधान सचिव (विधि)।

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 11 अक्टूबर, 2022

संख्या: एल.एल.आर.-डी.(6)-9/2021-लेज.—भारत के राष्ट्रपति ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 201 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2021 (2021 का विधेयक संख्यांक 8) को दिनांक 31-08-2022 को अनुमोदित कर दिया है तथा हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन, विधेयक के अंग्रेजी पाठ को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करने के लिए प्राधिकृत कर दिया है। अतः उपरोक्त विधेयक को वर्ष 2022 के अधिनियम संख्यांक 13 के रूप में अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित राजपत्र (ई-गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया जाता है।

आदेश द्वारा,

राजीव भारद्वाज,
प्रधान सचिव (विधि)।

हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त (संशोधन) अधिनियम, 2021

धाराओं का क्रम

धारा :

1. संक्षिप्त नाम।
2. धारा 3 का संशोधन।

2022 का अधिनियम संख्यांक 13

हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त (संशोधन) अधिनियम, 2021

(माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा तारीख 31 अगस्त, 2022 को यथा अनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम, 2014 (2015 का अधिनियम संख्यांक 23) का संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. **संक्षिप्त नाम.**—इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त (संशोधन) अधिनियम, 2021 है।

2. **धारा 3 का संशोधन.**—हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम, 2014 की धारा 3 की उपधारा (1) में “उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति है या रहा है” शब्दों के पश्चात् “या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है” शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

THE HIMACHAL PRADESH LOKAYUKTA (AMENDMENT) ACT, 2021

ARRANGEMENT OF SECTIONS

Sections :

1. Short title.
2. Amendment of Section 3.

Act No. 13 of 2022

THE HIMACHAL PRADESH LOKAYUKTA (AMENDMENT) ACT, 2021

(AS ASSENTED TO BY THE PRESIDENT ON 31st AUGUST, 2022)

AN

ACT

to amend the Himachal Pradesh Lokayukta Act, 2014 (Act No. 23 of 2015).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-second Year of the Republic of India as follows :—

1. **Short title.**—This Act may be called the Himachal Pradesh Lokayukta (Amendment) Act, 2021.

2. **Amendment of Section 3.**—In the Himachal Pradesh Lokayukta Act, 2014, in Section 3, in sub-section (1), after the words “a Chief Justice of a High Court”, the words “or a Judge of a High Court” shall be inserted.



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शनिवार, 20 जनवरी, 2024 / 30 पौष, 1945

हिमाचल प्रदेश सरकार

परिवहन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 6 जनवरी, 2024

संख्या: टी.पी.टी.-ए (3)-7/2019-II.—हिमाचल प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1972 (1973 का अधिनियम संख्यांक 4) से संलग्न अनुसूची-III का संशोधन करने के लिए अधिसूचना प्रारूप को, इस विभाग की समसंख्यांक अधिसूचना तारीख 31-10-2023 द्वारा अधिसूचित किया गया था और राजपत्र

(ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से सात दिन के भीतर एतद्वारा प्रभावित होने वाले व्यक्तियों से आक्षेप (पों)/सुझाव(वों) को आमन्त्रित करने के लिए तारीख 02-11-2023 को प्रकाशित किया गया था;

इस निमित्त नियत अवधि के भीतर कोई भी आक्षेप/सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं;

अतः, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1972 (1973 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 3-ग की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पूर्वोक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची-III में निम्नलिखित संशोधन कार्यान्वित करते हैं, अर्थातः—

अनुसूची-III का संशोधन

हिमाचल प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1972 (1973 का अधिनियम संख्यांक 4) से संलग्न अनुसूची-III के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थातः—

क्रम संख्या	परिवहन यान का वर्णन	विशेष पथ कर की अधिकतम दर
1.	हिमाचल प्रदेश राज्य के भीतर तथा बाहर रजिस्ट्रीकृत मंजिली गाड़ी	
	(क) साधारण सेवाएं	क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा नियत समय-सारणी के अनुसार दिन के दौरान तय की गई कुल दूरी हेतु दस पैसे प्रति सीट प्रति किलोमीटर।
	(ख) एक्सप्रेस/रात्रि सेवाएं	क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा नियत समय-सारणी के अनुसार दिन के दौरान तय की गई कुल दूरी हेतु तेरह पैसे प्रति सीट प्रति किलोमीटर।
	(ग) सेमी-डीलक्स सेवाएं	क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा नियत समय-सारणी के अनुसार दिन के दौरान तय की गई कुल दूरी हेतु पन्द्रह पैसे प्रति सीट प्रति किलोमीटर।
	(घ) डीलक्स सेवाएं	क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा नियत समय-सारणी के अनुसार दिन के दौरान तय की गई कुल दूरी हेतु बीस पैसे प्रति सीट प्रति किलोमीटर।
	(ङ) वातानुकूलित सेवाएं	क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा नियत समय-सारणी के अनुसार दिन के दौरान तय की गई कुल दूरी हेतु पैंतीस पैसे प्रति सीट प्रति किलोमीटर।
2.	हिमाचल प्रदेश राज्य में रजिस्ट्रीकृत/पंजीकृत संविदा गाड़ियां	
	(क) ऑटो रिक्शा	दो हजार (₹2000/-) रुपए प्रतिवर्ष
	(ख) पांच से कम सीटें	आठ हजार (₹8000/-) रुपए प्रतिवर्ष
	(ग) पांच या अधिक किन्तु दस से कम सीटें।	दो हजार (₹2000/-) रुपए प्रति सीट प्रतिवर्ष
	(घ) दस या अधिक किन्तु तेईस से कम सीटें।	तीन हजार (₹3000/-) रुपए प्रति सीट प्रतिवर्ष
	(ङ) तेईस या अधिक सीटें	पांच हजार (₹5000/-) रुपए प्रति सीट प्रतिवर्ष
3.	हिमाचल प्रदेश में रजिस्ट्रीकृत/पंजीकृत प्राईवेट सेवा यानों	
	(क) छः या अधिक किन्तु दस से कम सीटें।	दो हजार (₹2000/-) रुपए प्रति सीट प्रति वर्ष
	(ख) दस या अधिक किन्तु तेईस से कम सीटें।	तीन हजार (₹3000/-) रुपए प्रति सीट प्रतिवर्ष
	(ग) तेईस या अधिक सीटें	चार हजार (₹4000/-) रुपए प्रति सीट प्रतिवर्ष
4.	हिमाचल प्रदेश राज्य में रजिस्ट्रीकृत/पंजीकृत माल गाड़ी	

	(क) मल्टी एक्सल एक सौ बीस किंवटल से अधिक (दस से अठारह टायर)	पन्द्रह हजार (₹15000/-) रुपए प्रतिवर्ष
	(ख) भारी माल यान तीस से एक सौ बीस किंवटल के मध्य (छह टायर)	दस हजार (₹10000/-) रुपए प्रतिवर्ष
	(ग) मध्यम माल यान (बीस से तीस किंवटल के मध्य)	पन्द्रह हजार (₹15000/-) रुपए प्रतिवर्ष
	(घ) हल्के माल यान (दस से बीस किंवटल के मध्य)	पांच हजार (₹5000/-) रुपए प्रतिवर्ष
	(ङ) हल्के माल यान (दस किंवटल से कम)	तीन हजार (₹3000/-) रुपए प्रतिवर्ष
	(च) ट्रैक्टर (पब्लिक कैरियर या प्राईवेट कैरियर अनुज्ञापत्र के साथ चलने वाले जो ऐसा माल, जो स्वामी से सम्बन्धित कृषि के आनुषंगिक नहीं है, ले जाते हैं)	तीन हजार (₹3000/-) रुपए प्रतिवर्ष
5.	हिमाचल प्रदेश राज्य में रजिस्ट्रीकृत/पंजीकृत राज्य रजिस्ट्रीकृत वैनिटी वैन/कैम्पर वैन/मोटर कारवैन/कारवां	
	हल्के मोटर यान	बीस हजार (₹20000/-) रुपए प्रतिवर्ष
	मध्यम मोटर यान	पच्चीस हजार (₹25000/-) रुपए प्रतिवर्ष
	भारी मोटर यान	तीस हजार (₹30000/-) रुपए प्रतिवर्ष
6.	हिमाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करने वाले अन्य राज्य के यान	
i	प्राईवेट सेवा यान जिनमें:-	
	(क) छह या अधिक किन्तु दस से कम सीटें	सात हजार (₹7000/-) रुपए प्रति सीट प्रतिवर्ष
	(ख) दस या अधिक किन्तु तेईस से कम सीटें	आठ हजार (₹8000/-) रुपए प्रति सीट प्रतिवर्ष
	(ग) तेईस या तेईस से अधिक सीटें	नौ हजार (₹9000/-) रुपए प्रति सीट प्रतिवर्ष
ii	हिमाचल प्रदेश में करार के अधीन संविदा गाड़ी, जिनमें:-	
	(क) पांच से कम सीटें	आठ हजार (₹8000/-) रुपए प्रति सीट प्रतिवर्ष
	(ख) पांच या अधिक किन्तु दस से कम सीटें	नौ हजार (₹9000/-) रुपए प्रति सीट प्रतिवर्ष
	(ग) दस या अधिक किन्तु तेईस से कम सीटें	दस हजार (₹10000/-) रुपए प्रति सीट प्रतिवर्ष
	(घ) तेईस या तेईस से अधिक सीटें	बारह हजार (₹12000/-) रुपए प्रति सीट प्रतिवर्ष
iii	अन्य राज्य में रजिस्ट्रीकृत और हिमाचल प्रदेश राज्य में संविदा गाड़ी अनुज्ञापत्र या किसी अन्य समरूप अनुज्ञापत्र पर चलने वाले यान जिनमें:-	
	(क) पांच से कम सीटें	एक हजार (₹1000/-) रुपए प्रतिदिन
	(ख) पांच या अधिक किन्तु दस से कम सीटें	छह हजार (₹6000/-) रुपए प्रति दिन
	(ग) दस या अधिक किन्तु तेईस से कम सीटें	दस हजार (₹10000/-) रुपए प्रति दिन
	(घ) तेईस या तेईस से अधिक सीटें	पन्द्रह हजार (₹15000/-) रुपए प्रति दिन

iv	माल गाड़ियां जो राष्ट्रीय परमिट स्कीम के अन्तर्गत नहीं आती हैं	
	(क) मल्टी एक्सल 120 क्विंटल से ऊपर (दस से अठारह टायर)	तीस हजार (₹30000/-) रुपए प्रति वर्ष
	(ख) भारी माल यान 30 से 120 क्विंटल के मध्य (छह टायर)	बीस हजार (₹20000/-) रुपए प्रति वर्ष
	(ग) मध्यम माल यान (20 से 30 क्विंटल के मध्य)	बारह हजार (₹12000/-) रुपए प्रति वर्ष
	(घ) हल्के माल यान (10 से 20 क्विंटल के मध्य)	आठ हजार (₹8000/-) रुपए प्रति वर्ष
	(ङ) हल्के माल यान (10 क्विंटल से कम)	छह हजार (₹6000/-) रुपए प्रति वर्ष
	(च) ट्रैक्टर (पब्लिक कैरियर या प्राईवेट कैरियर अनुज्ञापत्र के साथ चलने वाले जो ऐसा माल, जो स्वामी से सम्बन्धित कृषि के आनुषंगिक नहीं है, ले जाते हैं)	छह हजार (₹6000/-) रुपए प्रति वर्ष
v	वैनिटी वैन/कैम्पर वैन/मोटर कारवां :-	
	(क) हल्के मोटर यान	बीस हजार (₹20000/-) रुपए प्रति तिमाही
	(ख) मध्यम मोटर यान	पच्चीस हजार (₹25000/-) रुपए प्रति तिमाही
	(ग) भारी मोटर यान	तीस हजार (₹30000/-) रुपए प्रति तिमाही

आदेश द्वारा,

आर. डी. नजीम,
प्रधान सचिव (परिवहन)।

[Authoritative English text of this Department Notification No. TPT-A(3)-7/2019-II, dated 06-01-2024 as required under Clause(3) of Article 348 of the Constitution of India].

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 6th January, 2024

No. TPT-A(3)-7/2019-II.— Whereas, the draft notification to amend SCHECULE-III appended to the Himachal Pradesh Motor Vehicles Taxation Act, 1972 (Act 4 of 1973) was Notified *vide* this department notification of even number dated 31-10-2023 and published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh on 02-11-2023 for inviting objection (s) or suggestion (s) from the person (s) likely to be affected thereby within seven days from the date of publication of the notification in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh;

AND WHEREAS, no objection(s)/suggestion(s) have been received in this behalf within the stipulated period;

Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3-C of the Himachal Pradesh Motor Vehicles Taxation Act, 1972 (Act 4 of 1973), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to carry out the following amendments in SCHECULE-III appended to the Act *ibid*, namely:—

Amendment of Schedule-III

For SCHEDULE-III appended to the Himachal Pradesh Motor Vehicles Taxation Act, 1972 (Act No. 4 of 1973), the following shall be substituted, namely:—

Sl. No.	Description of Transport Vehicle	Maximum rate of Special Road Tax
1.	STAGE CARRIAGES REGISTERED WITHIN AND OUTSIDE OF STATE OF HIMACHAL PRADESH	
	(a) Ordinary Services	10 paise per seat per km. for the entire distance covered during the day as per the time table fixed by the Regional Transport Authority.
	(b) Express/Night Services	13 paise per seat per km. for the entire distance covered during the day as per the time table fixed by the Regional Transport Authority.
	(c) Semi Deluxe Services	15 paise per seat per km. for the entire distance covered during the day as per the time table fixed by the Regional Transport Authority.
	(d) Deluxe Services	20 paise per seat per km. for the entire distance covered during the day as per the time table fixed by the Regional Transport Authority.
	(e) Air conditioned Services	35 paise per seat per km. for the entire distance covered during the day as per the time table fixed by the Regional Transport Authority.
2.	CONTRACT CARRIAGES REGISTERED IN THE STATE OF HIMACHAL PRADESH	
	(a) Auto Rickshaw	₹2000/- per annum
	(b) Less than five seats	₹8000/- per annum
	(c) Five or more but less than ten seats	₹2000/- per seat per annum
	(d) Ten or more but less than twenty three seats.	₹3000/- per seat per annum
	(e) Twenty three or more seats	₹5000/- per seat per annum
3.	PRIVATE SERVICE VEHICLES REGISTERED IN THE STATE OF HIMACHAL PRADESH	
	(a) Six or more but less than ten seats	₹2000/- per seat per annum
	(b) Ten or more but less than twenty three seats.	₹3000/- per seat per annum
	(c) Twenty three or more seats	₹4000/- per seat per annum
4.	GOODS CARRIAGES REGISTERED IN THE STATE OF HIMACHAL PRADESH	

	(a) Multi Axle Above 120 quintals (Ten to eighteen tyres).	₹15,000/- per annum
	(b) Heavy Goods Vehicle Between 30 to 120 quintals (Six tyres).	₹10,000/- per annum
	(c) Medium Goods Vehicle (Between 20 to 30 quintals).	₹15,000/- per annum
	(d) Light Goods Vehicle (Between 10 to 20 quintals).	₹5,000/- per annum
	(e) Light Goods Vehicle (Less than 10 quintals).	₹3,000/- per annum
	(f) Tractor (plying with public carrier or private carrier permit when carrying goods which are not incidental to agriculture belonging of the owner).	₹3,000/- per annum
5.	STATE REGISTERED VANITY VAN/CAMPER VAN/MOTOR CAR VAN/CAR VAN REGISTERED IN THE STATE OF HIMACHAL PRADESH	
	Light Motor Vehicle	₹20000/- per annum
	Medium Motor Vehicle	₹25000/- per annum
	Heavy Motor Vehicle	₹30000/- per annum
6.	OTHER STATE VEHICLES ENTERING IN THE STATE OF HIMACHAL PRADESH	
i.	Private Service Vehicles having;—	
	(a) Six or more but less than ten seats	₹7000/- per seat per annum
	(b) Ten or more but less than twenty three seats.	₹8000/- per seat per annum
	(c) Twenty three or more seats	₹9000/- per seat per annum
ii.	Contract Carriages under agreement in Himachal Pradesh having;-	
	(a) Less than five seats	₹8000/- per seat per annum
	(b) Five or more but less than ten seats	₹9000/- per seat per annum
	(c) Ten or more but less than twenty three seats.	₹10000/- per seat per annum
	(d) Twenty three or more seats	₹12000/- per seat per annum
iii.	Vehicles plied on contract carriage permit or on any other similar permits registered in other State and entering in the State of Himachal Pradesh having;-	
	(a) less than five seats	₹1000/- per day
	(b) five or more but less than ten seats	₹6000/- per day
	(c) ten or more but less than twenty three seats.	₹10000/- per day
	(d) twenty three or more seats	₹15000/- per day
iv.	Goods Carriages not covered under National Permit Scheme having;—	
	(a) Multi Axle Above 120 quintals (ten to eighteen tyres).	₹30000/- per annum
	(b) Heavy Goods Vehicle Between 30 to 120 quintals (Six tyres).	₹20000/- per annum
	(c) Medium Goods Vehicle (Between 20 to 30 quintals).	₹12000/- per annum
	(d) Light Goods Vehicle (Between 10 to 20 quintals).	₹8000/- per annum

	(e) Light Goods Vehicle (Less than 10 quintals).	₹6000/- per annum
	(f) Tractor (plying with public carrier or private carrier permit when carrying goods which are not incidental to agriculture belonging of the owner).	₹6000/- per annum
v.	Vanity Van/Camper Van/Motor Car Van/Car Van having;—	
	(a) Light Motor Vehicle	₹20000/- Per Qtr.
	(b) Medium Motor Vehicle	₹25000/- Per Qtr.
	(c) Heavy Motor Vehicle	₹ 30000/- Per Qtr.

By order,-

R.D. NAZEEM,
Principal Secretary (Transport).

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 18 जनवरी, 2024

संख्या: एल0एल0आर0-डी0(6)-13 / 2023-लेज.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2023 (2023 का विधेयक संख्यांक 12) को दिनांक 15-01-2024 को अनुमोदित कर दिया है तथा अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन, विधेयक के अंग्रेजी पाठ को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करने के लिए प्राधिकृत कर दिया है। अतः उपरोक्त विधेयक को वर्ष 2024 के अधिनियम संख्यांक 1 के रूप में अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित राजपत्र (ई-गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया जाता है।

आदेश द्वारा,

शरद कुमार लगवाल,
सचिव (विधि)।

हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त (संशोधन) अधिनियम, 2023

धाराओं का क्रम

धारा :

1. संक्षिप्त नाम।
2. धारा 7 का संशोधन।

2024 का अधिनियम संख्यांक 1

हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त (संशोधन) अधिनियम, 2023

हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम, 2014 (2015 का अधिनियम संख्यांक 23) का और संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. **संक्षिप्त नाम.**—इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त (संशोधन) अधिनियम, 2023 है।

2. **धारा 7 का संशोधन.**—हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम, 2014 की धारा 7 में "उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति" शब्दों के स्थान पर "यथास्थिति, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश" शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

THE HIMACHAL PRADESH LOKAYUKTA (AMENDMENT) ACT, 2023

ARRANGEMENT OF SECTIONS

Sections:

1. Short title.
2. Amendment of section 7.

Act No. 1 of 2024

THE HIMACHAL PRADESH LOKAYUKTA (AMENDMENT) ACT, 2023

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 15TH JANUARY, 2024)

AN

ACT

further to amend the Himachal Pradesh Lokayukta Act, 2014 (Act No. 23 of 2015).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-fourth Year of the Republic of India as follows:-

1. **Short title.**—This Act may be called the Himachal Pradesh Lokayukta (Amendment) Act, 2023.

2. **Amendment of Section 7.**—In Section 7 of the Himachal Pradesh Lokayukta Act, 2014, after the words "the Chief Justice of the High Court", the words and sign "or the Judge of the High Court, as the case may be" shall be inserted.

ब अदालत तहसीलदार प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी तहसील नगरोटा बगवां,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नम्बर 891/2023 (RMS)

तारीख दायर : 23-05-2023

तारीख फैसला : 8-01-2024

उनवान मुकद्दमा:

1. श्री सरजीवन कुमार पुत्र श्री धर्म चन्द, निवासी वार्ड नं0 7, मूमता, मौजा मूमता, तहसील नगरोटा बगवां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रत्याक्षी पक्ष।

विषय.—प्रार्थना—पत्र आयुष के दसवीं के प्रमाण—पत्र में माता के नाम की शुद्धि करने बारे।

प्रार्थना—पत्र प्रार्थी श्री सरजीवन कुमार पुत्र श्री धर्म चन्द, निवासी वार्ड नं0 7, मूमता, मौजा मूमता, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने अदालत में उपस्थित होकर आवेदन किया है कि मेरे पुत्र आयुष के दसवीं कक्षा के प्रमाण—पत्र में उसकी माता का नाम सुषमा दर्ज है जोकि गलत है दरुस्ती की जावे। सही नाम सुषमा देवी है। दर्ज करने का आग्रह किया है।

मिसल सर्वप्रथम अदालत द्वारा कार्यालय रिपोर्ट करवा कर दर्ज रजिस्टर हुई। और आम जनता के एतराजाता सुनने हेतु कोर्ट नोटिस अखबारी इश्तहार राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में दिनांक 20-6-2023 को प्रकाशित हो कर प्राप्त हो चुका है और कोर्ट नोटिस मुस्त्री मुनादी दिनांक 12-12-2023 को जारी किया गया। मुस्त्री मुनादी रिपोर्ट रोजनामचा वाक्यती 03 जनवरी, 2024 रपट नं0 139, कार्यालय में प्राप्त हो चुकी है।

प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु पेश हुआ प्रार्थी श्री सरजीवन पुत्र श्री धर्म चन्द स्वयं हाजिर। आम जनता की ओर से कोई हाजिर न है। ऐसा प्रतीत होता है कि सूचित होने के बावजूद मुकद्दमा पैरवी के इच्छुक न हैं और न ही कोई उजर/एतराज पेश हुआ। अतः अदम पैरवी व अदम हाजरी एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

प्रार्थना—पत्र पर गौर करने से पाया गया कि प्रार्थना—पत्र सत्यता पर आधारित है। प्रार्थना—पत्र स्वीकार किया जाता है। अतः मैं, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार नगरोटा बगवां, जिला कांगड़ा प्रार्थी के पुत्र आयुष की माता का नाम सुषमा के स्थान पर सुषमा देवी दर्ज करने के आदेश पारित करता हूं। आदेश की एक प्रति सम्बंधित विभाग को अमल दामद हेतु प्रेषित की जावे। अग्रिम कार्यवाही की आवश्यकता न है। नियमानुसार दाखिल अभिलेख कक्ष होवें, सुनाया गया।

क्रमांक 20/R-I दिनांक 08-01-2024

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील नगरोटा बगवां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

